

## अध्याय IV

## परियोजना कार्यान्वयन

आईजीए, के पूरक समझौते के प्रावधानों के अनुसार एनपीसीआईएल तथा एएसई ने सामान्य फ्रेमवर्क करार (जीएफए) किया (नवम्बर 2001)। परियोजना के संबंध में पक्षों के बीच समझौते की मुख्य शर्तों को दर्ज करने के लिए जीएफए करार किया गया। जिसमें क्रमशः एएसई तथा एनपीसीआईएल के दायित्व कार्यक्षेत्रों को दर्शाया गया था। जीएफए के अनुसार कुल परियोजना बेस लागत (डीपीआर, आईडीसी तथा ईंधन को छोड़कर) 2,587 मिलियन अमेरिकी डॉलर (यूएसडी) थी। जीएफए में 1,535 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि के रूसी कार्यक्षेत्र को पूरा करने तथा 220 मिलियन अमेरिकी डॉलर राशि की तीसरे देशों के अन्तर्गत आपूर्तियों के लिए एएसई के साथ किए गए संविदा के ब्यौरे तथा अधिकतम मूल्य सीमा भी निदिष्ट की गई है। ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

तालिका : 4.1 भारत, रूसी तथा तीसरे देशों के कार्यक्षेत्र में आने वाले कार्यों की लागत

क्र. सं.	घटक	आरंभिक टीसीओ में प्रस्तुत कीमत - जुलाई 2001		मोल-भाव के बाद एवं जीएफए में मान्य कीमत - नवम्बर 2001	
		(मिलियन अमेरिकी डॉलर)	(₹ करोड़ में)	(मिलियन अमेरिकी डॉलर)	(₹ करोड़ में)
1.	आपूर्तियों तथा सेवाओं का रूसी कार्यक्षेत्र	2,293	10,777	1,535	7,217
2.	तीसरे देशों से आपूर्तियां तथा सेवाएं	220	1,034	220	1,034
<b>उप जोड़</b>		<b>2,513</b>	<b>11,811</b>	<b>1,755</b>	<b>8,251</b>
3.	परिवहन सहित कार्यों का भारतीय कार्यक्षेत्र	867	4,075	832	3,910
<b>कुल बेस लागत</b>		<b>3,380</b>	<b>15,886</b>	<b>2,587</b>	<b>12,161</b>

भारत सरकार द्वारा (दिसम्बर 2001) कुल परियोजना लागत के लिए 2,804 मिलियन अमेरिकी डॉलर वित्तीय स्वीकृति दी गई जिसमें 57 मिलियन अमेरिकी डॉलर की डीपीआर की लागत एवं रूसी ऋण पर आईडीसी के 160 मिलियन अमेरिकी डॉलर सम्मिलित थे। भारतीय मुद्रा में वित्तीय स्वीकृति ₹ 13,171 करोड़ बनती हैं।

### कार्य का रूसी कार्यक्षेत्र

रूसी कार्यक्षेत्र में, परियोजना इंजीनियरिंग तथा डिजाइन, उपस्कर की आपूर्ति, रूसी संघ से विशेष सामग्रियां/स्पेयर पार्ट, तीसरे देशों से कुछ उपस्करों की खरीद, भारतीय पक्ष के प्रचालनों/रख-रखाव कार्मिकों का प्रशिक्षण, सहायता सेवाएं जैसे परियोजना प्रबंधन कार्यकलाप, गुणवत्ता आश्वासन/गुणवत्ता नियंत्रण (क्युए/क्युसी) कार्यकलाप, परियोजना कार्यान्वयन के सभी चरणों पर डिजाइनरों के पर्यवेक्षण आदि, शामिल थे। जीएफए के अन्तर्गत रूसी कार्यक्षेत्र के निम्नलिखित संविदा किए गए:

**तालिका 4.2: एनपीसीआईएल द्वारा एएसई के साथ रूसी क्षेत्र के अन्तर्गत किए गए संविदा**

क्रम संख्या	संविदा का नाम	लागत (मिलियन अमेरिकी डॉलर में)
1.	कार्यचालन प्रलेखन का विस्तार	122
2.	दीर्घ निर्माण चक्र उपकरण तथा पहली प्राथमिकता उपकरण तथा सामग्री की आपूर्ति	538
3.	रूसी संघ से आपूर्त किए जाने वाले उपकरण तथा सामग्री	755
4.	एनपीसीआईएल के प्रचालन तथा रखरखाव, कार्मिक का प्रशिक्षण	15
5.	कुडनकुलम निर्माण क्षेत्र के लिए अनुबन्धित विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति	105
<b>जोड़</b>		<b>1,535</b>

### कार्य का भारतीय कार्यक्षेत्र

भारतीय कार्यक्षेत्र में, सिविल निर्माण कार्य, विस्तृत निर्माण प्रक्रिया की तैयारी, सभी मशीनों, विद्युतीय तथा यंत्रिकरण एवं नियंत्रण (आई एंड सी) प्रणाली उपकरणों/घटकों का उत्पादन, तीसरे देशों से उपकरण की खरीद में भागीदारी, एएसई के कार्मिकों की तकनीकी सहायता के तहत संयंत्र को चालू करना तथा नाभिकीय विद्युत स्टेशन (एनपीएस) इकाईयों का प्रचालन, सम्मिलित किया जाना था। एनपीसीआईएल को एएसई की तकनीकी सहायता के तहत पार्टियों तथा उनके उप-ठेकेदारों द्वारा योजना तथा मॉनीटरिंग प्रक्रियों के क्रियान्वयन सहित

संपूर्ण परियोजना प्रबंधन भी करना था। जीएफए के अन्तर्गत भारतीय कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित कार्य थे:

**तालिका 4.3: केकेएनपीपी में भारतीय कार्यक्षेत्र के लिए लागत में विच्छेद**

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	कार्य का विवरण	मूल मंजूरी दिसम्बर 2001
1.	मुख्य संयंत्र सिविल भवन (सामाग्री एवं निर्माण), कूलिंग वॉटर का सेवन एवं आउटफॉल प्रणाली (सामाग्री एवं निर्माण), ब्रेक वॉटर डाइक्स, तट सुदृढीकरण	1,554
2.	निर्माण एवं नाभिकीय प्रणाली सहायक, टर्बाइन जेनरेटर सहायक, विविध, मैकेनिकल निर्माण, परिवहन और परिवहन बीमा, जल अलवणीकरण संयंत्र का निर्माण व संस्थापन	440
3.	कर्मचारियों का वेतन एवं ओवरहेड्स	724
4.	कार्यशील पूँजी मार्जिन	237
5.	साइट सुधार, संचार एवं कम्प्यूटर सुविधाएं, रखरखाव, आकस्मिकताओं एवं बीमा आदि	955
	<b>कुल</b>	<b>3,910</b>

### तीसरे देश के संविदा

टीसीओ तथा की गई बातचीत के अनुसार, सामग्री की तीसरे देश से आपूर्ति को आंशिक रूप से भारतीय कार्यक्षेत्र में तथा आंशिक रूप से रूसी कार्यक्षेत्र में सम्मिलित किया गया था। तीसरे देश की आपूर्तियों के लिए कुल मूल्य 220 मिलियन अमेरिकी डॉलर सिमित था। रूसी पक्ष (एएसई) द्वारा ही सभी तीसरे देश के संविदा किए गए थे।

### 4.1 समय तथा लागत आधिक्य

#### 4.1.1 माइलस्टोन की प्राप्ति में विलंब

जीएफए दिनांक 6 नवम्बर 2001 के अनुबंध IV में एनपीसीआईएल तथा एएसई के बीच स्वीकृत रूप में केकेएनपीपी इकाई I तथा II के विभिन्न चरणों के लिए माइलस्टोन निर्धारित

किए गए। आरम्भिक माइलस्टोन के अनुसार इकाई I तथा II परियोजना की निर्धारित पूर्णता तिथि तथा वास्तविक तिथि निम्नानुसार है:

**तालिका 4.4: इकाई I तथा II के संदर्भ में वाणिज्यिक प्रचालन में विलम्ब**

अंतिम माइलस्टोन	निर्धारित तिथि	वास्तविक तिथि	विलम्ब
वाणिज्यिक प्रचालन (इकाई I) का आरम्भ	30.10.2007	31.12.2014	86 महीने
वाणिज्यिक प्रचालन (इकाई II) का आरम्भ	30.10.2008	31.03.2017	101 महीने

केकेएनपीपी इकाई I तथा II के तहत विभिन्न चरणों की पूर्णता की निर्धारित तिथियों के प्रति, अंतिम रूप से प्राप्त माइलस्टोनों की तिथियों को **अनुलग्नक II** में दर्शाया गया है।

केकेएनपीपी की इकाई I में विभिन्न चरणों की पूर्णता की निर्धारित तिथियों तथा पूर्णता की वास्तविक तिथियों के विश्लेषण से यह पता चला कि निम्नलिखित कार्यों में इकाई I के लिए 202 दिनों से 2,619 दिनों के बीच विलम्ब हुआ:

**तालिका 4.5: इकाई I में विभिन्न चरणों की पूर्णता में विलम्ब**

क्रम संख्या	कार्य	निर्धारित पूर्णता तिथि	वास्तविक पूर्णता तिथि	विलम्ब दिनों में
1.	43.9 मीटर तक रिएक्टर बिल्डिंग दीवारों के प्राथमिक कंटेनमेंट का निर्माण	31.10.2004	21.05.2005	202
2.	क्रेन बीम सहित 36.5 मीटर तक टर्बाइन बिल्डिंग का निर्माण	31.12.2004	31.08.2005	243
3.	पोलर क्रेन का संस्थापन करना	31.03.2005	अप्रैल 2007	730
4.	नाभिकीय भाप आपूर्ति प्रणाली उपकरण तथा पाइपलाइनों का निर्माण	30.06.2006	29.07.2008	760
5.	टर्बाइन जेनरेटर का निर्माण	30.06.2006	30.09.2008	824
6.	220 केवी गैस इंसूलेटिड स्विचगीयर्स सिस्टम को संस्थापन करना	31.01.2005	14.11.2008	1,384

7.	आरबी आन्तरिक रोकथाम गुम्बद को पूर्व बल	30.09.2005	18.11.2009	1,449
8.	कम्प्रेसर का संस्थापन	31.12.2005	दिसम्बर 2010	1,795
9.	प्रथम महत्व की प्राप्ति	30.04.2007	13.07.2013	2,266
10.	वाणिज्यिक प्रचालन का प्रारंभ	30.10.2007	31.12.2014	2,619

इसी प्रकार, इकाई II के मामले में 95 तथा 3,083 दिनों के बीच विलम्ब पाया गया। इसे निम्नानुसार दर्शाया गया है:

**तालिका 4.6: इकाई II में विभिन्न चरणों की पूर्णता में विलम्ब**

क्रम संख्या	कार्य की मद	निर्धारित पूर्णता	वास्तविक पूर्णता	विलम्ब दिनों में
1.	प्रथम बार कंक्रीट भराव	31.03.2002	04.07.2002	95
2.	टर्बाइन बिल्डिंग का निर्माण	31.12.2005	31.01.2007	396
3.	आपातकालीन विद्युत आपूर्ति तथा नियंत्रण इकाई का निर्माण	30.04.2006	30.09.2008	884
4.	रिजर्व विद्युत आपूर्ति प्रणाली की चार्जिंग	31.05.2005	01.09.2011	2,284
5.	प्रथम क्रीटिकैलिटी	31.01.2008	10.07.2016	3,083
6.	वाणिज्यिक प्रचालनों का प्रारंभ	30.10.2008	31.03.2017	3,076

एनपीसीआईएल द्वारा भारतीय कार्यक्षेत्र के कार्य एवं एएसई के साथ किए गये मुख्य संविदाओं की समीक्षा से यह पता चला कि विभिन्न कार्यों की पूर्णता में विलम्ब हुआ था। जिसके प्रमुख कारण निम्नानुसार थे:

- **आपूर्ति में विलम्ब-**निर्माताओं की गैर-अनुक्रमिक आपूर्तियों तथा इंटरफेसिंग समस्याओं के परिणामस्वरूप निर्माण तथा उत्थापन कार्यों में विलम्ब हुआ।
- **डिजाइन परिवर्तन-** रूसी डिजाइनरों द्वारा परामर्शित इंजीनियरिंग परिवर्तनों/संशोधनों के अनुसार कई क्षेत्रों में पुनः कार्य करने की आवश्यकता थी जिसने शेड्यूल को भी प्रभावित किया।

- **फालतू/अतिरिक्त कार्यों के कारण विलम्ब-** रूसी पक्ष द्वारा प्रदत्त कुडनकुलम इकाई I तथा II की मात्राओं का आरंभिक बिल रूसी संदर्भ संयंत्र डाटा पर आधारित था, यद्यपि भारतीय विशिष्ट डिजाइन के विस्तार के दौरान कई अतिरिक्त सुरक्षा विशेषताएं सम्मिलित की गईं तथा आपूर्तियों/कार्यों के कार्यक्षेत्र को बढ़ाते हुए मात्राओं के बिलों में उर्ध्वगामी संशोधन करना पड़ा।
- **उत्थापन विलम्ब** – सिविल, यंत्रिक, विद्युत तथा इस्त्रूमेंटेशन कार्यों, जो मुख्य परियोजना के सहायक थे, सहित चयनित 106 कार्यों में से 62 में कार्य के क्रियान्वयन में विलम्ब हुआ।

प्रमुख विलम्ब, सामग्रियों की आपूर्ति में 7 से 2,041 दिनों, रूसी संघ द्वारा डिजाइन में परिवर्तन में 11 से 387 दिन तथा रूसी संघ द्वारा आपूर्ति किए गए आहरण विनिर्देश/प्राथमिक चरण में अनुचित निर्धारण के कारण अतिरिक्त कार्य के क्रियान्वयन के साथ सामग्री की बेमेलता 8 से 1,564 दिनों के बीच थी।

*प्रबंधन ने अपने उत्तर में (28 जून 2017) कहा कि प्रमुख विलम्ब एएसई द्वारा उपकरण की आपूर्ति, कार्यकारी दस्तावेजों, डिजाइन में परिवर्तन में विलम्ब आदि जैसे रूसी पक्ष के कारण थी। एनपीसीआईएल के कारण हुए विलम्ब के कारण डिजाइन को अन्तिम रूप देने के लिए आदानों में देरी एवं कुछ समय के लिए हुआ स्थानीय आंदोलन थे।*

प्रबंधन ने देरी के लिए हुए कारणों को अभिस्विकृति दी है। यद्यपि अध्याय-2 में पहले ही चर्चित अनुसार, एनपीसीआईएल द्वारा संस्थापन की संशोधित तिथि के तालमेल में पुनः भुगतान निर्धारण को संशोधित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया भले ही रूसी पक्ष ने संयंत्र के वाणिज्यिक प्रचालन के विलम्ब में महत्वपूर्ण योगदान किया था। इससे ना केवल केकेएनपीपी के वाणिज्यिक प्रचालन में देरी हुई अपितु लागत में भी वृद्धि हुई जो कि आने वाले पैराओं में चर्चित हैं।

लेखापरीक्षा सिफारिश संख्या 6	सिफारिश पर डीई का उत्तर
उत्पादन के विभिन्न स्तरों के साथ आपूर्तियों के अनुक्रम द्वारा भविष्य में विलम्ब से बचना चाहिए।	डीई ने नोट किया तथा सिफारिश को स्वीकार किया।

#### 4.1.2 कार्य की पूर्णता में विलम्ब के कारण कार्य की लागत में वृद्धि एवं एएसई से गैर वसूली

लक्षित तिथि के अन्दर परियोजना का संस्थापन पूर्ण करने के लिए, उन सभी सहायक कार्यों की समय पर पूर्णता सुनिश्चित करना आवश्यक था जो प्रमुख परियोजना से जुड़े हुए थे। यद्यपि कार्य के क्रियान्वयन के दौरान लागत में महत्वपूर्ण अपवर्ड संशोधन हुए जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 4.7: इकाई I तथा II के सदंर्भ में कार्य की लागत की वृद्धि

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	घटक	मूल लागत (दिसम्बर 2001)	संशोधित लागत (अगस्त 2014)	लागत में वृद्धि
1.	कार्य का रूसी कार्यक्षेत्र	8,508	9,692	1,184
2.	कार्य का भारतीय कार्यक्षेत्र	3,910	7,734	3,824
3.	निर्माण के दौरान देय ब्याज (आईडीसी)	753	3,286	2,533
4.	विदेश विनिमय दर भिन्नता	-	1,750	1,750
	<b>जोड़</b>	<b>13,171</b>	<b>22,462</b>	<b>9,291</b>

क) परियोजना की लागत पर वृद्धि के विश्लेषण ने यह दर्शाया कि यद्यपि कार्य का रूसी कार्यक्षेत्र ₹1,184 करोड़ (14 प्रतिशत) तक बढ़ा था, कार्य का भारतीय कार्यक्षेत्र ₹3,824 करोड़ (98 प्रतिशत) तक बढ़ा था। इसके अलावा, विलम्बों के कारण आईडीसी में वृद्धि 336 प्रतिशत (₹ 2,533 करोड़) तथा परियोजना की लागत में ₹1,750 करोड़ की विदेशी विनिमय भिन्नता राशि तक थी। रूसी कार्यक्षेत्र में वृद्धि मुख्य रूप से संयंत्र कार्य स्थल पर रूसी पक्ष से अतिरिक्त श्रमबल आवश्यकता तथा रूसी पक्ष से आपूर्तियों में वृद्धि के कारण थी। कार्य के भारतीय कार्यक्षेत्र में वृद्धि के लिए प्रमुख अभिदाता कर्मचारियों का वेतन एवं प्रशासनिक ओवरहेड्स था। इसके अलावा, नाभिकीय भाप आपूर्ति प्रणाली तथा टर्बाइन जेनरेटर के उत्पादन खर्चों में (रूसी कार्यक्षेत्र से भारतीय कार्यक्षेत्र में अंतरण के कारण) वृद्धि हुई थी। लागत वृद्धि

के लिए उत्तरदायी अन्य कारक अतिरिक्त कार्यों का क्रियान्वयन, भारतीय ठेकेदार को संवर्धन/कम उपयोग प्रभारों का भुगतान आदि थे। कार्य के भारतीय कार्यक्षेत्र के तहत लागत में वृद्धि का विवरण *अनुलग्नक III* में दिया गया है।

ख) लेखापरीक्षा ने सिविल, यांत्रिकी, विद्युतीय तथा इंस्ट्रूमेंटल कार्य जो प्रमुख परियोजना के सहायक थे, के नमूना जांच किए तथा 106 कार्यों (मूल्य ₹ 1,511.73 करोड़) में से 62 (₹ 1,422.79 करोड़ मूल्य के) (94 प्रतिशत) कार्यों में कार्य के क्रियान्वयन में विलम्ब देखा। इसके परिणामस्वरूप ठेकेदारों<sup>25</sup> को समय पर एनपीसीआईएल द्वारा कार्य फ्रन्ट की उपलब्धता न होने जैसे परिणामी विलम्ब हुए। फलस्वरूप, एनपीसीआईएल को ठेकेदारों को ₹ 184.40 करोड़ की राशि के वृद्धि प्रभारों का भुगतान करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके अतिरिक्त, ठेकेदार द्वारा सामग्री/कार्य फ्रन्ट/डिजाइन विनिर्देश की आपूर्ति जैसे कारकों के कारण कार्य में विलम्ब के लिए ₹ 39.34 करोड़ की राशि के कम-उपयोग प्रभारों का दावा किया गया। इसके अलावा, सेवाकर, बीमा प्रीमियम, बैंक गारंटी आयोग तथा मशीनरी, स्टाफ एवं साइट पर अतिरिक्त व्यय आदि पर विस्तारित अवधि के दौरान ₹ 41.05 करोड़ की राशि का अतिरिक्त व्यय किया गया।

तकनीकी तथा वाणिज्यिक प्रस्ताव के खण्ड 1.10.2 तथा संविदा की सामान्य शर्त के अनुच्छेद 12 के अनुसार, यदि परियोजना अनुसूची में विलम्ब एएसई के कारण हुआ हो तो इसे पारस्परिक सहमति अनुसार ऐसे विलम्ब के कारण ग्राहक द्वारा उचित प्रकार से व्यय की जाने वाली प्रत्यक्ष लागत सहित विलम्ब द्वारा हुए सभी अतिरिक्त व्ययों जैसे विलम्ब के परिणामों का उत्तरदायित्व लेना होगा। तथापि, एनपीसीआईएल द्वारा ₹ 264.79 करोड़ (₹ 184.40 करोड़+₹ 39.34 करोड़+₹ 41.05 करोड़) की अतिरिक्त राशि की वसूली के लिए एएसई पर कोई दावा नहीं किया गया।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (28 जून 2017) कि चूंकि उत्थापन एवं संस्थापन के सभी काम भारतीय पक्षों द्वारा किए गए थे, एएसई की भूमिका केवल आपूर्तिकर्ता तक सीमित कर दी गई थी। जीसीसी के अनुच्छेद 12 के आवेदन का परिणामी नुकसान की वसूली के अनुरूप

<sup>25</sup> भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि., लार्सन एंड टुब्रो लि., हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन आदि।



होगा, जो आईजीए के अनुसार पार्टियों का इरादा नहीं था, क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय अनुबंध की शर्तों के तहत इसे कायम रखने की संभावना नहीं है।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य करने योग्य नहीं है, क्योंकि एएसई द्वारा उपकरणों/सामग्रियों एवं कामकाजी दस्तावेजों की आपूर्ति में देरी के परिणाम स्वरूप भारतीय ठेकेदारों द्वारा जुड़े हुए कार्यों को पूरा करने में देरी हुई। इसलिए एनपीसीआईएल द्वारा भारतीय ठेकेदारों को किए गए अतिरिक्त व्यय को कॉन्ट्रैक्ट के परिच्छेद की सामान्य शर्तों के तहत कवर किया जाना है और इसे एएसई से वसूल करना होगा।

रूसी क्षेत्र, भारतीय क्षेत्र एवं तीसरे देशों के कॉन्ट्रैक्ट पर लेखा परीक्षा की टिप्पणियाँ आगामी पैराग्राफ में दी गई हैं:

## 4.2 कार्य का रूसी कार्यक्षेत्र

### 4.2.1 उपकरण की आपूर्ति के लिए अधिक मूल्य पर संविदा करके एएसई को दिया गया अनुचित लाभ - ₹ 99.47 करोड़

नवम्बर 2001 के जीएफए के अनुसार, रूसी कार्यक्षेत्र के क्रियान्वयन हेतु एनपीसीआईएल तथा एएसई द्वारा 1,535 मिलियन अमेरिकी डॉलर के पांच संविदा<sup>26</sup> किए गए।

इसके अलावा, तीसरे देशों से अन्य उपकरणों की आपूर्ति करने के लिए एनपीसीआईएल तथा एएसई के बीच 220 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक के लिए स्वीकृत एक व्यवस्था थी।

यद्यपि, एनपीसीआईएल के यह अवलोकन करने के बाद कि तीसरे देशों द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले कुछ उपकरण को रूसी कार्यक्षेत्र से खरीदा जा सकता था तथा भारत में रूसी संविदा विशेषज्ञ की प्रतिनियुक्ति से संबंधित दायित्वों के एक भाग को रूसी संघ (आरएफ) के अन्दर किया जा सकता था, एएसई के साथ 94 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के एक नए संविदा के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया (अगस्त 2002)। इसे दो संविदाओं अर्थात् 'केके कार्य स्थल के लिए अनुबन्धित विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति- 105 मिलियन'

<sup>26</sup> काम करने वाले दस्तावेजों का विस्तार, लंबे समय से निर्माण चक्र उपकरण, उपकरणों एवं सामग्री के वितरण के लिए रूसी संघ से आपूर्ति की जा रही है, एनपीसीआईएल के संचालन एवं रखरखाव की कमियों की प्रशिक्षण एवं अनुबंध विशेषज्ञों की कुडनकुलम साइट पर प्रतिनियुक्ति

अमेरिकी डॉलर तथा 'तीसरे देशों द्वारा अन्य उपकरणों की आपूर्ति- 220 मिलियन' अमेरिकी डॉलर को पुनः संगठित करके किया गया था जैसाकि नीचे दर्शाया गया है।

**तालिका 4.8: लागत में संविदा वार संशोधन**

क्रम संख्या	संविदा का नाम	संगठन से पूर्व लागत (मिलियन अमेरिकी डॉलर में)	संशोधित लागत (मिलियन अमेरिकी डॉलर में)	बढ़त (+)/घटत (-)(मिलियन अमेरिकी डॉलर में)
1.	तीसरे देशों से उपकरणों की आपूर्ति हेतु संविदा	220	191	(-) 29
2.	केकेएनपीपी कार्य स्थल के लिए रूसी विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति के लिए संविदा	105	40	(-) 65
3.	कॉमनवेल्थ स्वतंत्र देशों से आपूर्तियों का संविदा तथा ठेकेदारों द्वारा ऑफ शोर आपूर्तियों का कार्य करना (कॉमनवेल्थ स्वतंत्र राज्यों से नया संविदा)	लागू नहीं	94*	(+) 94
	<b>कुल</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	

\* आपूर्ति के लिए 50.91 मिलियन अमेरिकी डॉलर एवं सेवाओं के लिए 43.09 मिलियन अमेरिकी डॉलर

तालिका 4.8 से यह देखा जा सकता है कि तीसरे देशों से उपकरण की खरीद इसके 220 मिलियन अमेरिकी डॉलर के पूर्व संशोधित मूल्य से प्रति 191 मिलियन अमेरिकी डॉलर को संशोधित की गई थी। उस रूप में, उपकरण की आपूर्ति का अधिकतम मूल्य जिसे कॉमनवेल्थ स्वतंत्र राज्यों (सीआईएस) से खरीदा जा सकता था वह केवल 29 मिलियन अमेरिकी डॉलर था (220 मिलियन अमेरिकी डॉलर (-) 191 मिलियन अमेरिकी डॉलर)। तथापि, ऑडिट ने यह पाया कि उसी उपकरण की लागत नई संविदा में 50.91 मिलियन अमेरिकी डॉलर (₹ 231.13 करोड़) था जो कि 29 मिलियन अमेरिकी डॉलर (₹ 131.66 करोड़) की मूल्य लागत के अतिरिक्त 21.91 मिलियन अमेरिकी डॉलर (₹ 99.47 करोड़) तक अधिक थी। एएसई द्वारा उपकरण की आपूर्ति के मूल्य में वृद्धि के कारण एनपीसीआईएल के अभिलेखों में स्पष्ट नहीं पाए गए। प्रबंधन ने कहा कि नई संविदा में निहित उपकरण तीसरे देशों से आपूर्तियों के लिए पिछली संविदा के जैसे ही थे। यह दर्शाता है कि उसी उपकरण के लिए एएसई को 50.91 मिलियन अमेरिकी डॉलर की उच्चतर राशि दी गई थी जिसे पूर्व

संशोधित व्यवस्था पर तीसरे देशों से खरीदी जाने वाली 29 मिलियन अमेरिकी डॉलर पर सहमति दी गई थी।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (28 जून 2017) कि रूसी कार्यक्षेत्र का सहमत मूल्य 1812 मिलियन अमेरिकी डॉलर था जिसमें तीसरे देश से संविदाओं का 220 अमेरिकी डॉलर मूल्य एवं डीपीआर का 57 मिलियन अमेरिकी डॉलर का मूल्य शामिल था। सहमत संविदाओं के मूल्य अनुमानित मूल्य थे और राशि को सामान्य फ्रेमवर्क करार (जीएफए) के अनुसार विनिर्दिष्ट सीमा के तहत समायोजित किया जा सकता था। 220 मिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्य को संशोधित किया जा सकता था यदि तीसरे देशों से आपूर्ति के लिए कुल संविदाएं सीधे एनपीसीआईएल द्वारा तीसरे देशों के आपूर्तिकारों के साथ किए जाते। 94 मिलियन अमेरिकी डॉलर के संविदा मूल्य पर सीआईएस देशों से आपूर्तियों के लिए संविदा ने एनपीसीआईएल और एएसई के बीच संविदा संरचना को प्रभावित नहीं किया किन्तु परिणामस्वरूप एनपीसीआईएल के लिए बचत हुई चूंकि इस संविदा के 85 प्रतिशत मूल्य (94 मिलियन अमेरिकी डॉलर) रूस राज्य क्रेडिट के तहत उपलब्ध सुलभ ऋण से वित्तपोषित हो सकता था जो कि अन्यथा पूर्ण रूप से एनपीसीआईएल के आंतरिक संसाधनों से प्रदत्त किया गया होता।

प्रबंधन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि यह केवल 1,535 मिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्य का रूसी क्षेत्र है जो जीएफए के अनुसार निर्धारित किया गया था। तीसरे देशों से आपूर्तियों के लिए 220 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहमति मूल्य, ऊपरी सीमा थी। नए अनुबंध में 50.91 मिलियन अमेरिकी डॉलर पर 29 मिलियन अमेरिकी डॉलर (पुराने अनुबंध) की कीमतों को खरीद करके। एएसई ने 220 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आपूर्ति कर ऊपरी सीमा का उल्लंघन किया क्योंकि इनकी राशि 241.91 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी एवं एनपीसीआईएल ने इसके लिए आपत्ति उठाए बिना भुगतान करके एएसई के लिए अनुचित विस्तारित लाभ प्रदान किया। चार प्रतिशत की दर से सुलभ ऋण की उपलब्धता के बारे में प्रबंधन का जवाब स्वीकार्य योग्य नहीं है क्योंकि एनपीसीआईएल ने रूसी ऋण को चुकाने के लिए 7.94 प्रतिशत से 10.69 प्रतिशत के बीच उच्च ब्याज दरों पर उधार लिया था।

लेखापरीक्षा सिफारिश संख्या 7	सिफारिश पर डीएई का उत्तर
एनपीसीआईएल का हित, इस प्रकार की समझौता वार्ता से निकलने वाले मात्रात्मक लाभों का पता लगाकर सभी संविदाओं की पुनः वार्ताओं में, रक्षित किया जाना चाहिए।	डीएई ने नोट किया तथा सिफारिश को स्वीकार किया।

#### 4.2.2 रूसी विशेषज्ञों के उपयोग में अनुचित योजना

रूसी श्रमशक्ति के किए गये भुगतान पर लेखा परीक्षा की टिप्पणीयां निम्नलिखित हैं:

क) एनपीसीआईएल और एएसई के बीच संयंत्र के निर्माण, उत्पादन और संस्थापन के दौरान तकनीकी सहायता एवं दिशानिर्देश के लिए साइट पर विशेषज्ञों (6,053 मानव महीनों<sup>27</sup>) की प्रतिनियुक्ति के लिए 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर की एक तटवर्ती सेवा संविदा (23 अगस्त 2002) की गई थी। यह मूल्य पूर्ण एवं अंतिम मान था एवं किसी भी परिवर्तन के अधीन नहीं था। कथित संविदा के अनुच्छेद 2.1 के अनुसार श्रमशक्ति तैनाती का वर्ष वार विवरण जो कि 2002-03 से 2008-09 की अवधि के दौरान उपयोग किया जाना था समापन की कार्य प्रगति एवं समय सारणी पर निर्भर समायोजित हो सकता था।

संविदा में कुल 6,053 मानव महीने में से वार्षिक प्रोटोकॉल के आधार पर 5,213 मानव महीनों एवं प्लांट के संस्थापन एवं प्रचालन के लिए 840 मानव महीनों का प्रावधान किया गया। तथापि, इस तथ्य के बावजूद कि इकाई I एवं इकाई II का संस्थापन क्रमशः दिसम्बर 2014 और मार्च 2017 में हुआ था, यह 6053 मानव महीनें 9वें वर्ष (2010-11) में ही उपयोग कर लिए गए।

इसके अलावा अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि हालांकि तटवर्ती सेवा संविदा एक निश्चित मूल्य संविदा थी किन्तु संयंत्र के निर्माण चरण पर ध्यान दिए बिना अतिरिक्त श्रमशक्ति तैनात करने के कारण, एनपीसीआईएल को उपयुक्त मानव महीनों को 6,053 से 11,567 तक बढ़ाना पड़ा जिसके बाद संविदा मूल्य 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर से

<sup>27</sup> एक मानव महीना एक विशेषज्ञ (मानव) की तैनाती के एक महीने के समतुल्य है।

76.44 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ गया। यह फरवरी 2010 तथा मार्च 2016 के बीच एएसई के साथ पूरक करारों को हस्ताक्षरित करके किया गया।

चूंकि परियोजना के समयबद्ध समापन में विलम्ब हुआ था इसलिए एनपीसीआईएल को कार्य की वास्तविक प्रगति के अनुसार रूसी विशेषज्ञ की प्रतिनियुक्ति के कार्यक्रम को समय पर पुनर्व्यवस्थित करना चाहिए था।

*प्रबंधन ने उत्तर दिया (28 जून 2017) कि एएसई के श्रमबल की प्रतिनियुक्ति की आवश्यकता परियोजना कार्यान्वयन अवधि के प्रवर्धन के कारण बढ़ गई। यद्यपि प्रतिनियुक्ति सदैव ही विवेक पूर्ण ढंग से की गई थी, तब भी कार्य की विशेषीकृत प्रकृति के कारण, अतिव्याप्ति गतिविधियां जो कि साथ-साथ की जा सकती थी, परियोजना अवधि के प्रवर्धन के कारण परिव्याप्त हो गई, परिणास्वरूप श्रमबल में वृद्धि हुई।*

मंत्रालय का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि संविदा का अनुच्छेद 2.1 स्पष्ट रूप से कार्य की प्रगति और समापन के कार्यक्रम पर निर्भर करते हुए प्रतिनियुक्ति में समायोजन का प्रावधान करता है। प्रतिनियुक्ति कार्यक्रम के पुनर्गठन के विकल्प पर प्रबंधन द्वारा विचार नहीं किया गया था जबकि निर्माण कार्य के मुख्य माइलस्टोन की प्राप्ति में विलम्ब स्पष्ट थे। इसके अलावा चूंकि यह एक निश्चित मूल्य संविदा थी, इसलिए कॉर्पोरेशन को प्रारंभिक वर्षों में श्रमबल की व्यर्थता से और विलम्बित कार्य को पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त लागत व्यय करने द्वारा पूरक करारों पर हस्ताक्षर करने का सहारा लेने से बचने के लिए कार्य की प्रगति के अनुसार विवेकपूर्ण तरीके से से श्रम महीनों का उपयोग करना चाहिए था।

ख) एनपीसीआईएल और एएसई के बीच हुए जीएफए के अनुसार केकेएनपीपी इकाई I एवं II के उत्थापन एवं संस्थापन का कार्य एनपीसीआईएल के कार्यक्षेत्र के अधीन था। चूंकि एनपीसीआईएल के पास प्राथमिक प्रणाली स्वामित्व उपस्कर, उपकरणों, सेंसर/यंत्रों आदि की आपूर्ति एवं उत्थापन सहित विशेषीकृत कार्य के लिए तकनीकी विशेषता नहीं थी इसलिये साइट पर तकनीकी विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति के लिए एएसई के साथ संविदाएं की।

एनपीसीआईएल ने उत्थापन सहित प्राथमिक प्रणाली के संस्थापन और विशेषीकृत कार्य के लिए इकाई I पर 91 मानव महीनों के लिए ठेकेदार द्वारा साइट पर विशेषज्ञों को

लगाने के लिए 1.02 मिलियन अमेरिकी डॉलर पर एएसई (2 नवम्बर 2010) को एक निश्चित मूल्य संविदा सौंपी थी।

अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि संविदा में प्रावधान किए गए 91 मानव महीनों में से केवल 39.1 मानव महीनों का उपयोग किया गया था। तथापि, एएसई को 1.02 मिलियन अमेरिकी डॉलर का पूर्ण भुगतान किया गया था। चूंकि कथित संविदा में इकाई I से इकाई II में रूसी कार्मिक के पुनःतैनाती के लिए कोई प्रावधान नहीं था। इसलिए इकाई II से संबंधित कार्य के लिए, एनपीसीआईएल द्वारा शेष श्रम घंटों (0.58 मिलियन<sup>28</sup> अमेरिकी डॉलर मूल्य) का उपयोग नहीं किया जा सका।

*प्रबंधन ने जवाब दिया (28 जून 2017) कि विशेष संस्थापन कार्य होने के कारण संस्थापन माप प्रणाली (सीएमएस) के लिए क्षेत्र और कार्यालय/डेक्सटॉप कार्य अपेक्षित था, जिसे वैज्ञानिक संस्थानों से श्रमबल सहित अत्यधिक विशेष रूसी श्रमबल द्वारा पूर्ण किया जाना था। चूंकि संविदा का मूल्य सुनिश्चित राशि देने के आधार पर निर्धारित किया गया था, ठेकेदार ने अपनी स्वयं की लागत में कमी करने के लिए रूसी संघ में डेक्सटॉप कार्य किए और साइट पर श्रमबल में काफी कमी हुई। इसलिए यद्यपि अनुमान श्रमबल आधार पर था, वास्तविक कार्य निर्धारित मूल्य एकमुश्त आधार पर था।*

प्रबंधन का उत्तर दर्शाता है कि एनपीसीआईएल में रूसी कार्मिकों से कार्य कराने हेतु संविदा के प्रति भुगतान करने के लिए सुसंगत नीति नहीं थी। पहले मामले में इस आधार पर कि वास्तविक श्रम माह समाप्त हो गया है रूसी पक्ष को कार्य पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त भुगतान किया गया था वहीं दूसरी ओर, अन्य मामले में जब कम श्रम माह लिया गया था, तब उपयोग न किये गये श्रम माह के लिए भी पूर्ण भुगतान किया गया था, यह कह कर कि यह निर्धारित मूल्य संविदा था। क्योंकि दोनों संविदा निर्धारित मूल्य के आधार पर थे, दो संविदाओं के लिए अलग-अलग मापदंड अपनाने से अंत में एनपीसीआईएल द्वारा अधिक व्यय करने से एएसई को लाभ प्राप्त हुआ। यह नियंत्रण की कमी थी जबकि एनपीसीआईएल के वित्तीय हित की सुरक्षा के लिए एक समान कार्य के लिए दो अलग संविदाओं की तुलना नहीं की गई थी।

#### **4.2.3 वारंटी अवधि के तहत क्षतिग्रस्त टरबाइन की मरम्मत पर ₹ 12.76 करोड़ का परिहार्य व्यय एवं ₹ 53.73 करोड़ के बिक्री राजस्व की परिणामी हानि**

रूसी कार्यक्षेत्र के भाग के तौर पर, केकेएनपीपी की इकाई I में एचपी टरबाइन रोटर और स्टेशनरी ब्लेड्स मेसर्स एलएमजेड पावर मशीन रूस द्वारा आपूर्त किए गए थे और एएसई के

<sup>28</sup> 0.58 मिलियन अमेरिकी डॉलर = 1.02/91\* 51.9

पर्यवेक्षण के तहत एनपीसीआईएल द्वारा उत्थापित किए गए थे। सितम्बर -अक्टूबर 2014 के महीने में संयंत्र (इकाई I) के प्रचालन के दौरान एचपी टरबाईन ने उच्च दाब वाले तापमान का अनुभव किया जब उर्जा को 800 एमडब्ल्यू के ऊपर बढ़ाया गया। परिणामस्वरूप मशीन रोक दी गई एवं टरबाईन के आंतरिकों की जांच में अग्र एवं पिछले दोनों छोरों पर पहले दो चरणों के डायफ्रगमस एवं चलते हुए रोटर के ब्लेड की क्षति का पता चला। 11 अक्टूबर 2014 को इसे क्षतिग्रस्त घोषित किया गया था। क्षति धातु प्लेट के टकराव के कारण हुई थी जो कि एचपी टरबाईन की निचली इनर केसिंग से अलग हो गई थी। उस समय पर इकाई I 100 प्रतिशत उर्जा उत्पन्न करने के चरण पर पहुंच चुकी थी और इकाई II हॉट रन के लिए तैयार थी।

26 सितम्बर 2014 को शक के आधार पर क्षतिग्रस्त रोटर के लिए इकाई I को बंद किया गया था तथा दिनांक 7 दिसम्बर 2014 (73 दिन) को पुनः चालू किया गया। जैसा कि प्रबंधन द्वारा नोट किया गया, टर्बो मशीनरी के महत्वपूर्ण भाग की अनुपलब्धता के परिणामस्वरूप इकाई I से विद्युत उत्पादन की हानि हुई और लगभग ₹ आठ करोड़ प्रतिदिन के राजस्व की हानि हुई। परिणामस्वरूप, इकाई II के एचपी टरबाईन रोटर को हटाने और इकाई I से उर्जा उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए इसे इकाई I में प्रयोग करने का निर्णय लिया गया। अंत में प्रतिस्थापन 27 अक्टूबर 2014 को किया गया। कमियों को ठीक करने के लिए इकाई I के खराब टरबाईन रोटर को हैदराबाद (भेल) भेजने और परिशोधन के बाद इकाई II में प्रयोग करने का निर्णय लिया गया था। ₹ 8.93 करोड़ की लागत पर भेल, हैदराबाद द्वारा मरम्मत कार्य किया गया था। इसके अतिरिक्त, परिवहन और पैकिंग पर ₹ 0.30 करोड़ की राशि खर्च की गई और इकाई I टरबाईन के क्षतिग्रस्त भागों का इकाई II में प्रतिस्थापन और इकाई II में मरम्मत की गई रोटर के संस्थापन के लिए ₹ 3.53 करोड़ की राशि का व्यय किया गया।

चूंकि मशीनें वारंटी अवधि के दौरान विनिर्माण त्रुटियों के कारण खराब हुई थीं इसलिए टरबाईन की मरम्मत और प्रतिस्थापन /रिफिटिंग की लागत एएसई द्वारा वहन की जानी चाहिए थी। तथापि, टरबाईन रोटरों की मरम्मत एवं प्रतिस्थापन करने के लिए एनपीसीआईएल पर ₹ 12.76 करोड़ के अतिरिक्त बोझ के लिए एएसई पर कोई दावा नहीं किया गया। उपरोक्त 73 दिनों के शटडाउन के परिणामस्वरूप इस अवधि के दौरान ₹ 53.73 करोड़ के विद्युत बिक्री वसूली की हानि भी हुई।

प्रबंधन ने कहा कि इसने पहले से ही दावे की राशि का प्राक्कलन किया था जो कि एएसई की ओर से एनपीसीआइएल द्वारा खरीदी गई मर्दों के कारण या खराब भागों की मरम्मत/प्रतिस्थापन के कारण वसूली के लिए एएसई को प्रस्तुत करनी थी। केकेएनपीपी इकाई I के अंतिम टेकओवर पर सहमति करते हुए, एनपीसीआइएल के दावों के लिए एएसई की निष्पादन बैंक गारंटी में ₹ 40.48 करोड़ (1 अमेरिकी डॉलर = ₹67.17 के विनिमय दर पर 6.03 मिलियन अमेरिकी डॉलर) का एक प्रावधान रखा गया था जिसमें टरबाईन ब्लेडों की मरम्मत शामिल थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूंकि एनपीसीआइएल ने एएसई (जुलाई 2017) की निष्पादन बैंक गारंटी से ₹ 12.76 करोड़ के समायोजनों के विवरण प्रदान नहीं किए थे। इसके अतिरिक्त लेखा परीक्षा द्वारा इंगित राजस्व की हानि के बारे में भी प्रबंधन के उत्तर में कोई उल्लेख नहीं किया गया।

#### 4.2.4 एएसई द्वारा सामग्री की गैर आपूर्ति/दोषपूर्ण आपूर्ति के लिए वसूली/समायोजन के लिए एनपीसीआइएल द्वारा कोई कारवाई नहीं की गई

कार्यान्वयन के दौरान दृष्टांत देखे गए जहां एनपीसीआइएल को मर्दों की गैर आपूर्ति/दोषपूर्ण आपूर्ति के कारण कुछ सामग्रियों के लिए नये ऑर्डर देने पड़े जो कि एएसई के कार्यक्षेत्र में निहित थीं। तथापि एनपीसीआइएल ने न तो इस गैर आपूर्ति/दोषपूर्ण आपूर्ति के कारण अतिरिक्त भुगतान/हानि का आंकलन किया और न ही इसने इस संबंध में एएसई से वसूली/समायोजन के लिए कोई कारवाई की।

इन दृष्टांतों की निम्न पैराग्राफों में विस्तारपूर्वक व्याख्या की गई है:

क) केकेएनपीपी में एएसई द्वारा वाल्व की आपूर्ति के बाद, एनपीसीआइएल ने देखा कि विषयगत विद्युत मोटरें काम्पैक्ट प्रकार की थीं और एनपीसीआइएल के विशेषीकृत रिवाइंडिंग ठेकेदार उन्हें रिवाइन्ड या मरम्मत नहीं कर पा रहे थे। एनपीसीआइएल ने तब नवम्बर 2014 में ₹ 19.20 करोड़ (3.11 मिलियन अमेरिकी डॉलर) में मैसर्स टुलाइलेक्ट्रोप्राइवोड सीसी एफजेडई, रूस से मोटोराईज वाल्व अनुकूल मोटरें खरीदी थी। चूंकि मूल इलैक्ट्रिक मोटरें एनपीसीआइएल विनिर्देशों के अनुकूल नहीं थी इसलिए इन्हें एएसई से बिना किसी लागत पर प्रतिस्थापित करना चाहिए था। इस प्रकार, एएसई से काम्पैक्ट मोटरों के प्रतिस्थापन पर जोर देने के बजाय मैसर्स



टुलाइलैक्ट्रोप्राइवोड सीसी एफजेडई रूस से अनुकूल मोटरों की खरीद के कारण ₹ 19.20 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

उत्तर में, प्रबंधन ने भी पुष्टि की कि विषयगत इलैक्ट्रिक मोटर, इसके कॉम्पैक्ट प्रकार के कारण इसकी एनपीसीआइएल ठेकेदार द्वारा मरम्मत/रिवान्ड नहीं की जा सकी।

ख) एएसई ने 'वाल्व एकचुएटरों'<sup>29</sup> की आपूर्ति की जो कि क्षतिग्रस्त/अकार्यशील और तुरंत मरम्मत के परे पाए गए। एनपीसीआइएल ने मैसर्स टुलाइलैक्ट्रोप्राइवोड, रूस को एकल निविदा आधार पर ₹ 1.62 करोड़ की इन मदों का आर्डर (अगस्त 2014) दिया। तथापि, इसने अतिरिक्त भुगतान/हानि का आंकलन नहीं किया और एएसई से इसकी वसूली/समायोजन के लिए भी कोई कार्रवाई नहीं की।

ग) जीएफए के अनुसार, एएसई के साथ की गई आपूर्ति संविदा में निहित वारंटी/गारंटी खण्ड के अनुसार संविदा के तहत प्रत्येक इकाई के लिए आपूर्तियों की गारंटी अवधि संबंधित इकाई के अनन्तिम टेकओवर की तिथि से 12 महीने थी। इसके अलावा, यदि संघटक या प्रणाली में दोष या निष्फलता गलत अभिकल्प के कारण थी, तो ठेकेदार अपनी लागत पर ऐसी दोष और निष्फलता की संभावना को हटाने के लिए ऐसे अभिकल्प संघटक या प्रणाली को संशोधित करेगा। साइट/संघटकों/मदों की आवश्यकताओं के लिए प्राप्त टेक्नो वाणिज्यिक प्रस्तावों (टीसीओज) जो कि रूस की ओर से प्राप्त इकाई I के संस्थापना/इकाई II के यंत्रीकरण की अतिरिक्त मात्रा के दौरान अकार्यशील हो गये थे, पर बातचीत की गई और 5.33 मिलियन अमेरिकी डॉलर (₹ 24.53 करोड़) और 5.75 मिलियन अमेरिकी डॉलर (₹ 34.98 करोड़) में एएसई के साथ 31 अगस्त 2011 और 10 सितम्बर 2014 को संविदाएं की गई थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि उपरोक्त संविदाओं के तहत अधिकतर मदें जीएफए के अनुसार एएसई के साथ की गई आपूर्ति संविदाओं के तहत आपूर्त क्षतिग्रस्त/खराब मदों के प्रतिस्थापन के लिए खरीदी गई थी। चूंकि वारंटी/गारंटी खण्ड आपूर्ति संविदाओं में निहित था, इसलिए क्षतिग्रस्त/खराब मदें एएसई द्वारा उनकी लागत पर संशोधित/प्रतिस्थापन की जानी चाहिए थी। क्षतिग्रस्त/खराब मदों की खरीद के परिणामस्वरूप अतिरिक्त व्यय हुआ। अतिरिक्त व्यय की मात्रा को निर्धारित नहीं

<sup>29</sup> वाल्व एकचुएटर वाल्व को खोलने एवं बंद करने का यांत्रिक भाग है।

किया जा सका चूंकि खराब मर्दों के संबंध में कोई पृथक विवरण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे। इसके अलावा अकार्यशील मर्दों एवं अन्य मर्दों की खरीद का पृथक्करण रिकार्ड में उपलब्ध नहीं था। इसके अलावा, एनपीसीआईएल ने उपकरण की मूल दर के साथ या भारतीय निर्माता की दर के साथ लेखापरीक्षा से बार-बार मांगो के बावजूद तुलना का कोई विवरण नहीं दिया था।

घ) एक अन्य मामले में एनपीसीआईएल को 'सी' चैनल और 'ब्रेकेट' की आपूर्ति के लिए मैसर्स इंटीग्रेटेड इंजीनियर्स एंड कन्सल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड को आर्डर देना पड़ा, यद्यपि यह मर्द एएसई के कार्यक्षेत्र में थी किन्तु उसके द्वारा आपूर्ति नहीं की गई। इस कारण से एनपीसीआईएल को ₹ 19.82 लाख की राशि वहन करनी पड़ी। इस राशि को एएसई से वसूलने के लिए एनपीसीआईएल ने कोई कार्रवाई नहीं की।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (28 जून 2017) कि एनपीसीआईएल के पास सिस्टम/उपकरणों के संस्थापन के दौरान उपकरण में देखी गई कमियों की रिकॉर्डिंग की एक प्रणाली थी जहां पर ऐसे विचलनों के लिए जिम्मेदार एजेंसियों की पहचान और रिकॉर्ड भी की गई थी। लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लेखित चार दृष्टांत भण्डारण/उत्थापन/संस्थापन के दौरान क्षतिग्रस्त हुए थे और इसलिए वारंटी/एएसई की बाध्यता की परिधि में नहीं थे।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूंकि पहले तीन आपत्तियों के संबंध में प्रबंधन स्पष्ट नहीं कर सका कि क्यों निष्फलता एएसई पर आरोपित नहीं हो सकी। इसके अलावा, यह दर्शाने के लिए कोई दस्तावेज नहीं थे कि मर्दों की खराबी /क्षति के लिए एनपीसीआईएल जिम्मेदार है।

चौथी आपत्ति मद की गैर आपूर्ति से संबंधित है। इसलिए एनपीसीआईएल के कारण क्षति का प्रश्न नहीं उठता है तथा मद का मूल्य एएसई से वसूला जाना चाहिए था।

लेखापरीक्षा सिफारिश सं. 8	सिफारिश पर डीएई का उत्तर
एनपीसीआईएल को एएसई द्वारा की गई गैर/दोषपूर्ण सामग्री की आपूर्ति के लिए वसूली/समायोजन के लिए समय पर कार्रवाही करनी चाहिए।	डीएई ने नोट किया तथा सिफारिश को स्वीकार किया।

#### 4.2.5 निर्णित दावे

एनपीसीआईएल द्वारा ठेकदार (एएसई) पर तय नियम व शर्तें न मानने की स्थिति में निर्णित दावे (एलडी) लगाये जाते हैं। इनका निवारक एवं प्रतिपूर्ति दोनों तरह का प्रभाव होता है तथा यह संविदाओं का महत्वपूर्ण संघटक है।

#### क) निर्णित हर्जाने का गैर/कम दावा ₹ 463.08 करोड़

जीएफए के अनुसार, एनपीसीआईएल ने चार आपूर्ति संविदाएं और रूसी कार्यक्षेत्र के तहत आने वाले कार्यकारी दस्तावेज की व्याख्या के संबंध में एक संविदा की थी।

अनुच्छेद 23.1.2 के साथ पठित अनुच्छेद 23.1.1 के अनुसार, संविदा के कुल मूल्य के पांच प्रतिशत या दो प्रतिशत तक सीमित जैसा भी मामला प्रत्येक आपूर्ति मद या दस्तावेज पैकेज के मूल्य के 0.03 प्रतिशत की दर पर कुल एलडी उदग्रहीत किए जाने थे। एलडी के ऊपर लेखापरीक्षा टिप्पणियां निम्नानुसार हैं:

- i) 0.03 प्रतिशत से ज्यादा के एलडी व्यक्तिगत आपूर्ति मद के दो प्रतिशत या पांच प्रतिशत तक सीमित किए गये थे यद्यपि लागू सीमा कुल संविदा मूल्य का दो प्रतिशत या पांच प्रतिशत था। इसके परिणामस्वरूप पांच संविदाओं के संबंध में 19.54 मिलियन अमेरिकी डॉलर (₹ 126.74 करोड़) की एलडी का कम दावा हुआ।
- ii) तीन संविदाओं में (एएसई के साथ तीसरे देश की आपूर्ति संविदाओं सहित) एनपीसीआईएल या एएसई द्वारा लागू की जा रही निर्णित हर्जाने की दर पांच प्रतिशत की बजाय दो प्रतिशत थी जैसा कि टीसीओ में दिया गया था। नवम्बर 2001 में हस्ताक्षरित जीएफए प्रावधान करता है कि जुलाई 2001 के टीसीओ एवं बाद में संयुक्त समन्वय समिति (जेसीसी) कि जुलाई और अगस्त 2001 में हुई सभा में तय हुआ कि दोनों को "संशोधित टीसीओ" कहा जायेगा। जेसीसी सभाओं कि समीक्षा से पता चला कि एलडी दर पांच प्रतिशत से दो प्रतिशत कम करने के मुद्दे पर सभाओं में विचार विमर्श नहीं किया गया। अतः एलडी कि अधिकतम सीमा को टीसीओ के अनुसार पांच प्रतिशत से 2 प्रतिशत कम करने के परिणाम स्वरूप एएसई को 29.24 मिलियन अमेरिकी डॉलर (₹ 186.65 करोड़) का अदेय लाभ पहुंचा एवं एनपीसीआईएल को परिणामी नुकसान हुआ।

iii) वर्ष 2001-02 के लिए एक संविदा (सं. 77-225/16200) के तहत कार्यकारी दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण की अनुसूची पर परस्पर सहमति हुई। तथापि, 1 से 258 दिनों तक के विलम्ब के साथ पैकेज प्रस्तुत किए गए (एलडी की आरोपित राशि के लिए अनुच्छेद 23 के अनुसार नियत दिनांक से 30 कलेन्डर दिनों के बाद परिकलित विलंब) जिसके लिए एनपीसीआईएल द्वारा 0.48 मिलियन अमेरिकी डालर (₹ 2.33 करोड़) के लागू एलडी के लिए कोई दावा नहीं किया गया था।

iv) संविदा से जुड़े जीसीसी के अनुच्छेद 23.2.4 में कहा गया कि यदि दावा किए गए एलडी न्यायोचित हैं, भुगतान के अधीन ग्राहक ठेकेदार को एलडी के भुगतान के लिए बिल देगा; ठेकेदार बिल प्राप्त करने के 30 दिनों के भीतर इसका भुगतान करेगा।

तथापि लेखापरीक्षा में देखा गया कि यद्यपि दावा पत्र जारी किए गए थे, लेकिन संविदा में प्रावधान के अनुसार 22.72 मिलियन अमेरिकी डॉलर (₹ 147.36 करोड़) की राशि की पांच संविदाओं के संबंध में एलडी की वूसली के लिए बिल नहीं दिए गए थे। अभिलेखों में यह भी देखा गया कि एलडी की वूसली के प्रयासों को रोक दिया गया चूंकि यह परियोजना अंतर सरकारी अनुबंध (आईजीए) के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा कार्यान्वित की जानी थी और एक निर्णय लिया गया कि अंतिम समायोजन परियोजना के समापन पर किया जाएगा। तथापि, संविदा में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया कि यदि दावा न्यायोचित हैं, तो ग्राहक एलडी के भुगतान के लिए ठेकेदार को बिल देगा और ठेकेदार इसकी प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर बिल का भुगतान करेगा। इसलिए, रूस की ओर से एलडी की वूसली के निर्णय को प्रबंधन द्वारा स्थगित करना जब कि कम्पनी रूसी क्रेडिट के पुनः भुगतान के लिए ऋणों का सहारा ले रही थी, एनपीसीआईएल के वित्तीय हितों के विरुद्ध था।

प्रबंधन ने उत्तर दिया कि गारंटी के दौरान नाभिकीय भाप आपूर्ति प्रणाली तथा टरबाइन जनरेटर के उत्थापन और संस्थापन के साथ एनपीपी के प्रचालन से संबंधित कार्य प्रारंभिक टेक्नो वाणिज्यिक प्रस्ताव में एएसई कार्यक्षेत्र में था और उसके एनपीसीआईएल के स्थानान्तरण के बाद एएसई का कार्यक्षेत्र केवल एक आपूर्तिकार तक सीमित था और इसलिए एलडी का परिकलन आपूर्ति संविदा के अनुसार किया गया था। इसके अलावा एलडी के दावों की उगाही के निर्णय के स्थगन के संबंध में प्रबंधन ने कहा कि संविदाएं प्रावधान करती हैं कि यदि परियोजना के अंत में यह स्थापित किया जाता है कि समग्र परियोजना में एएसई द्वारा उपकरण और सामग्रियों के वितरण में विलम्ब के कारण समग्र परियोजना को विलम्ब

नहीं हुआ था तो एलडी की राशि एएसई को वापस की जायेगी। दावों के निपटान के लिए विलम्ब के कारणों का विश्लेषण केकेएनपीपी इकाई II के अंतिम भार ग्रहण करने के बाद परियोजना की समाप्ति पर किया जाना था।

प्रबंधन का उत्तर कि एएसई के कार्यक्षेत्र से एनपीसीआईएल को एनएसएसएस और टीजी के उत्थापन एवं संस्थापन के स्थानांतरण के बाद एएसई का कार्यक्षेत्र केवल आपूर्तिकार तक सीमित था और इसलिए एलडी का परिकलन संविदा के समरूप किया गया था स्वीकार्य नहीं है चूंकि कार्यक्षेत्र के परिवर्तन पर एएसई के साथ आपूर्ति संविदाएं करने के पूर्व सहमति हुई थी और उस रूप में दोनों पार्टियों द्वारा शामिल/हस्ताक्षरित शर्तें दोनों पार्टियों पर कानूनी तौर से बाध्य थी। इसके अलावा एलडी की वसूली को स्थगित करने का निर्णय भी स्वीकार्य नहीं है चूंकि एनपीसीआईएल को यह पता था कि कार्यकारी दस्तावेज/उपकरण और सामग्री की आपूर्ति में विलम्ब से भारतीय कार्यक्षेत्र प्रभावित हो रहा था और परिणामस्वरूप परियोजना के समापन में विलम्ब होगा। इसलिए, अभी तक (जुलाई 2017) एलडी की गैर वसूली स्वीकार्य नहीं है जब इकाई I और इकाई II क्रमशः सात और नौ वर्षों से विलम्बित हुई थी। इसके अलावा क्रम सं. (ii) और (iii) पर लेखापरीक्षा द्वारा की गई आपत्तियों के उत्तर प्रबंधन ने प्रस्तुत नहीं किए हैं

**ख) एएसई के साथ की गई उत्थापन रिजर्व संविदाओं के संबंध में एलडी की गैर वसूली ₹ 1.41 करोड़**

लेखापरीक्षा ने देखा कि इकाई II के उत्थापन रिजर्व के सन्दर्भ में 2,18,098.30 अमेरिकी डॉलर मूल्य के एलडी के बिल प्रस्तुत नहीं करने, एलडी वसूली का कोई दावा नहीं करने आदि जैसे कारणों से वसूली नहीं की जा सकी। विवरण अगले पृष्ठ पर है:

तालिका 4.9: एलडी की गैर वसूली

मामलों की संख्या	संविदा संख्या	आपत्ति	राशि (अमेरिकी डॉलर)	राशि ₹ में
2	111200 और 97400	दावे किए गए हालांकि बिल प्रस्तुत नहीं किए गए थे	1,04,776.60	67,95,810.28
1	90300	एलडी की वसूली के लिए कोई धारा नहीं	32,850.47	21,30,681.48
2	1108700 और 1202700	एलडी का दावा नहीं किया गया।	80,471.23	52,19,363.98
<b>कुल</b>			<b>2,18,098.30</b>	<b>1,41,45,855.74</b> या ₹ 1.41 करोड़

प्रबंधन ने उत्तर (28 जून 2017) दिया कि संविदाओं में ठेकेदार के बिलों से एलडी की सीधी कटौती की कोई शर्त नहीं थी और एनपीसीआईएल एलडी दावों की वसूली के लिए डेबिट नोट प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में है।

यद्यपि मर्दे वर्ष 2009-10 से 2014-15 की अवधि के दौरान वितरित हुई हैं, परन्तु एलडी की वसूली के लिए डेबिट नोट दो से आठ वर्ष की लम्बी अवधि बीतने के पश्चात् भी प्रस्तुत करना बाकी है (जुलाई 2017) परिणामस्वरूप कॉर्पोरेशन की निधियां ब्लॉक हो गईं।

लेखापरीक्षा सिफारिश संख्या 9	सिफारिश पर डीई का उत्तर
निर्णीत हर्जाने का सही तरीके से और समय पर दावा किया जाना चाहिए।	सिफारिश को स्वीकार करते हुए डीई ने कहा कि एलडी की वसूली की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है।

### 4.3 भारतीय कार्यक्षेत्र

#### 4.3.1 उचित लागत-लाभ विश्लेषण किये बिना रूसी कार्यक्षेत्र के स्थानांतरण के परिणामस्वरूप विलम्ब व ₹ 706.87 करोड़ का अतिरिक्त व्यय

एनपीसीआईएल द्वारा डीपीआर की स्वीकृति (जनवरी 2001) के बाद, रूसी पक्ष (एसआई) ने रूसी कार्यक्षेत्र और भारतीय कार्यक्षेत्र को दर्शाते हुए कुडनकुलम परियोजना की इकाई I और II के निर्माण हेतु एक तकनीकी वाणिज्यिक प्रस्ताव (टीसीओ) प्रस्तुत किया (जुलाई 2001)। अपना कार्य पूर्ण करने के लिए, एसआई ने तीसरे देशों से आपूर्ति करने के लिए 220 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुमानित मूल्य को छोड़कर 2,293 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल राशि का आरम्भिक अनुमान दिया। एसआई द्वारा प्रस्तुत टीसीओ पर डीआई द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा चर्चा की गई थी और संयुक्त समन्वय समिति (जेसीसी) की बैठक (जुलाई 2001) में रूसी कार्य के मूल्य को 1,600 मिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्धारित मूल्य तक कम करने पर सहमति हुई। इस बैठक में, रूसी पक्ष ने यह प्रस्ताव भी रखा कि रूसी कार्य क्षेत्र की लागत और भी कम हो सकती है यदि नाभिकीय भाग आपूर्ति प्रणाली (एनएसएसएस) और टर्बो जनरेटर (टीजी) के उत्पादन और संस्थापन को भारतीय कार्यक्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया जाए। इसके बाद, अंतिम बातचीत में (20-26 अगस्त 2001), एनपीसीआईएल द्वारा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और रूसी कार्यक्षेत्र हेतु परियोजना की लागत 1,535 मिलियन अमेरिकी डॉलर (₹ 7,217 करोड़) के निर्धारित मूल्य तक कम कर दी गई थी। यह कार्यस्थल पर रूसी कर्मिकों की संख्या में कमी करके एनपीसीआईएल की 65 मिलियन अमेरिकी डॉलर (₹ 305.50 करोड़) तक की बचत करने के लिए किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एनपीसीआईएल ने एनएसएसएस और टीजी की उत्पादन और संस्थापन के लिए कार्य संविदा पर 1,012.37 करोड़ का व्यय किया यद्यपि (रूसी कार्यक्षेत्र) ₹ 305.50 (65 मिलियन अमेरिकी डॉलर) के सापेक्ष। अतः एनपीसीआईएल ने ₹ 706.87 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया क्योंकि इसने कार्यक्षेत्र अंतरण से पहले लागत-लाभ विश्लेषण नहीं किया था। विवरण नीचे दिये गये हैं:

क. भारतीय पक्ष ने दर्शाया है कि वो रूसी पक्ष द्वारा इन कार्यों के लिए आबंटित लागत की जानकारी के बाद ही जिम्मेदारियों के अंतरण पर कोई निर्णय ले सकता था।

तथापि, एएसई द्वारा एनपीसीआईएल को कोई लागत कटौती उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः, हालांकि 65 मिलियन अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा असत्यापित रहा, एनपीसीआईएल कार्यक्षेत्र अंतरण के लिए सहमत हो गया।

ख. एनपीसीआईएल ने एनएसएसएस और टीजी की उत्थापन और संस्थापन कार्यसंविदाओं के लिए ₹ 295.54 करोड़ व्यय किए। अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि एनएसएसएस और टीजी की उत्थापन और संस्थापन की जिम्मेदारी कार्यस्थल पर रूसी तकनीकी कार्मिक की संख्या कम करके अनुकूलन प्राप्त करने के नियत उद्देश्य हेतु भारतीय पक्ष को दे दी गई थी। तथापि, मूल संविदा में (अगस्त 2002) उपलब्ध कुल निर्धारित रूसी श्रम माह वास्तव में 6,053 से 11,567 श्रम माह तक बढ़ गए तथा उत्थापन और संस्थापन के दौरान रूसी तकनीकी विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति की लागत 45.90 मिलियन अमेरिकी डॉलर (₹ 226.55 करोड़) से बढ़ गई। इससे रूसी कार्यक्षेत्र से भारतीय कार्यक्षेत्र में उत्थापन और संस्थापन द्वारा प्राप्त किये जाने वाले वांछित अनुकूलन का नियत उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ।

ग. इकाई I के उत्थापन और संस्थापन के दौरान, इलैक्ट्रिकल, मैकेनिकल और यंत्रिकरण और नियंत्रण मर्दों और घटकों की काफी मात्रा क्षतिग्रस्त या खराब हुई थी जिन्हें इकाई II के समान मर्दों के उपयोग द्वारा बदला गया था, क्योंकि उत्थापन हेतु कोई भी आरक्षित निधि उपलब्ध नहीं थी। इन उपकरणों की आपूर्ति करने के लिए एनपीसीआईएल को 87.55 मिलियन अमेरिकी डॉलर (₹ 490.28 करोड़) की लागत के उत्थापन हेतु आरक्षण उपकरण/सामग्री की खरीद के लिए एएसई के साथ आवश्यकता अनुसार विभिन्न संविदा करने पड़े। यद्यपि जुलाई 2001 के टीसीओ में निर्दिष्ट था कि रूसियों द्वारा उत्थापन हेतु उपकरण/सेवाएँ भारत के स्थानीय बाजारों से लेनी थी लेकिन उन्हें बिना तुलना दर विश्लेषण किए एएसई से लिया गया।

बार-बार पूछताछ/अनुस्मारकों के बाद भी, केकेएनपीपी प्रबंधन/ एनपीसीआईएल ने उन उपकरणों की सूची उपलब्ध नहीं कराई जो इकाई I के उत्थापन/संस्थापन के दौरान खराब/क्षतिग्रस्त हो गए थे। इस जानकारी के अभाव के कारण, लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र सीमित हो गया क्योंकि वो जांच नहीं कर सका कि क्या क्षति/खराबी परिहार्य थी और उसके लिए कौन जिम्मेदार था।



किसी भी लागत लाभ विश्लेषण के बिना एनएसएसएस और टीजी कार्य का भारतीय कार्यक्षेत्र में अंतरण करने से कार्य के संविदा, रूसी श्रमबल लागत और मदों की खरीद पर एनपीसीआईएल का ₹ 1,012.37 करोड़ (₹ 295.54 करोड़ + ₹ 226.55 करोड़ + ₹ 490.28 करोड़) का व्यय हुआ। इस प्रकार, एनएसएसएस और टीजी का रूसी कार्यक्षेत्र से भारतीय कार्यक्षेत्र में अंतरण से एनपीसीआईएल ने वास्तव में ₹ 706.87 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया। जो कि परियोजना की लागत में वृद्धि के लिए मुख्य कारणों में से एक था। एनएसएसएस और टीजी का भारतीय कार्यक्षेत्र में अंतरण के परिणामस्वरूप एनएसएसएस/टीजी की संस्थापन में विलंब हुआ (इकाई I और इकाई II के संबंध में क्रमशः 25 माह और 22 माह) जिससे परियोजना के संस्थापन एवं पूर्ण होने में भी विलंब हुआ।

*प्रबंधन ने उत्तर दिया (28 जून 2017) कि एनएसएसएस और टीजी नाभिकीय ऊर्जा प्लांट का मुख्य भाग हैं और तकनीक की विशेषता को जानने के लिए उसका भारतीय पक्ष द्वारा भी प्रयोग किया गया था और जानकारी जो सामान्य तौर पर विदेशी विक्रेता द्वारा नहीं दी जाती है, के लाभ को वित्तीय संदर्भ में परिमाणित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव की गणना करते समय लेखापरीक्षा द्वारा लिए गए एनएसएसएस और टीजी से संबंधित संस्थापन कार्य के लिए उत्थापन आरक्षित की खरीद और रूसी विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति में वृद्धि के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ण राशि उचित नहीं है क्योंकि रूसी विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति पूर्ण निर्माण और उत्थापन कार्य के दौरान निरीक्षण के लिए अपेक्षित थी और पूरे संयंत्र के लिए उत्थापन आरक्षित की खरीद की गई थी क्योंकि उत्थापन और संस्थापन के दौरान क्षतिग्रस्त पाए गए घटकों को बदलने के लिए अतिरिक्त पुर्जें उपलब्ध नहीं थीं।*

प्रबंधन का उत्तर मान्य नहीं था। रूसी संघ द्वारा प्रस्तुत टीसीओ की धारा 2.2.5.4 के अनुसार, एएसई (ठेकेदार) को संयंत्र के संस्थापन के मामले में कार्यस्थल पर योग्य कार्मिकों की टीम उपलब्ध करानी थी और एनपीसीआईएल द्वारा प्रचालन और रखरखाव कार्मिक उपलब्ध कराये जाने थे, जिन्हें ठेकेदार द्वारा ऐसे कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना था। इसके अतिरिक्त, दिये गये तर्क कि रूसी इकाई II की उत्थापन प्रक्रिया में भी लगे रहे (दिसम्बर 2016), ₹ 706.87 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को केवल प्राप्त अनुभव के आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता। क्योंकि संस्थापन तक रूसी सहायता कि पूर्ण तकनीकी सहायता मूल प्रतिनियुक्ति संविदा के अन्तर्गत करनी थी। रूसी श्रम माह में बढ़ोतरी से

उत्थापन/संस्थापन के रूसी कार्यक्षेत्र से भारतीय कार्यक्षेत्र में अंतरण द्वारा वांछित अनुकूलन का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ।

प्रबंधन के शेष उत्तर के सन्दर्भ में, जैसा पहले ही ऊपर बताया है, एनपीसीआईएल को एनएसएसएस और टीजी के उत्थापन/संस्थापन करते समय क्षतिग्रस्त/खराब मर्दों को बदलने के प्रति उत्थापन रिजर्व के रूप में एएसई से यन्त्रों की प्राप्ति में ₹ 490.28 करोड़ व्यय करने पड़े। बार-बार पूछताछ के बावजूद भी लेखापरीक्षा को उत्थापन आरक्षण में प्रयोग की गई सामग्री की राशि और विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया। इस जानकारी के अभाव में, यह आश्वासन नहीं दिया जा सकता कि क्या उत्थापन हेतु आरक्षित निधि का वास्तविक प्रयोग किया गया था।

लेखापरीक्षा सिफारिश संख्या 10	सिफारिश पर डीएई का उत्तर
रूसी पक्ष से भारतीय पक्ष और इसके विपरीत कार्य के क्षेत्र में परिवर्तन के लिए सहमत होने से पहले लागत लाभ विश्लेषण निरपवाद रूप से किया जाना चाहिए।	डीएई ने नोट किया तथा सिफारिश को स्वीकार किया।

#### 4.3.2 रूस के समुद्री बंदरगाह से केकेएनपीपी स्थल तक आपूर्ति के परिवहन पर परिहार्य व्यय

एनपीसीआईएल ने समुद्री मार्गों के माध्यम से काफी आपूर्ति प्राप्त की हैं। संबंधित लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ निम्नलिखित हैं:

##### क) ₹ 8.37 करोड़ का परिहार्य व्यय

आपूर्ति संविदा की धारा 3.2.2 के अनुसार, ठेकेदार (एएसई) पोर्ट में डिस्पैच की आपूर्ति उपलब्धता आकार, आयाम आदि की तिथि फैक्स द्वारा उपभोक्ता (एनपीसीआईएल) को बतायेगा। परिवहन के लिए सहमति दर 75 अमेरिकी डॉलर प्रति भाड़ा टन<sup>30</sup> थी। आयाम में अधिक माल (ओडीसी) जिसके लिए जहाज के आने की प्रत्येक अपेक्षित तिथि से 60 दिन पूर्व की नोटिस अवधि है को छोड़कर, सभी परेषण के लिए जहाज पहुंचने की प्रत्येक अपेक्षित तिथि से 45 दिन पूर्व देनी थी। धारा 3.2 के अनुसार, उपरोक्त आवश्यकता के

<sup>30</sup> कार्गो का सकल भाड़ा टन।

आधार पर एनपीसीआईएल जहाज किराये पर लेगा और शिपमेंट के पोर्ट पर जहाज का समय से पहुंचना सुनिश्चित करेगा।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि मैसर्स एल एण्ड एम ने (16 फरवरी 2005) इस मुद्दे को बताया कि बंडलो की अधिकतम ऊँचाई 8 मी. प्लस - माइनस 10 प्रतिशत के विरुद्ध बंडलो की वास्तविक ऊँचाई 10.180 मी. एवं 14.645 मी. के बीच थी। आगे मैसर्स एल एण्ड एम ने कहा (21 फरवरी 2005) कि लोडिंग के समय पत्तन प्राधिकारियों को प्रस्तुत करने हेतु अपेक्षित समुचित गोदाम योजना तैयार करने में सहायता के लिए पत्तन पर जहाजों के पहुँचने के 3 दिन पूर्व कार्गो उपलब्ध नहीं कराए गए तथा खराब पैकिंग वाले पैकेजों के गलत अभिलेखित परिमाणों के साथ एएसई द्वारा भारी संख्या में गैर-भण्डारणयोग्य पैकेजों की आपूर्ति की गई थी। मैसर्स एल एण्ड एम ने ऐसे गैर-भण्डारणयोग्य कार्गो के कारण और गोदाम योजना में बार-बार बदलाव के लिए सहमत 75 अमेरिकी डॉलर प्रति एफआरटी के अतिरिक्त एनपीसीआईएल से 60 अमेरिकी डॉलर प्रति एफआरटी की क्षतिपूर्ति की मांग की थी।

प्रस्ताव को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसने यह कहते हुए प्रस्ताव को अनुमोदन दिया कि निविदाकरण करते समय इन मुद्दों का अनुमान नहीं लगाया जा सका था और मै. एएसई शायद ही भण्डारणक्षमता पर कोई नियंत्रण करने की स्थिति में था क्योंकि यह दूर-दूर फैले कई निर्माताओं पर निर्भर होता है और एएसई द्वारा लदान के लिए बन्दरगाह पर सुपर्द किए जा रहे परेषण में अंतिम समय में परिवर्तनों पर ध्यान देने के लिए एनपीसीआईएल और एएसई के बीच संविदा में कोई प्रावधान भी नहीं था। तदनुसार, संविदा की संशोधन सं. 6 (22 मार्च 2005) को जारी किया गया था और संविदा का मूल्य ₹ 140.87 करोड़ से संशोधित करके ₹ 168.63 करोड़ कर दिया था। एनपीसीआईएल ने लगभग 60 प्रतिशत कार्गो जगह की हानि का आकलन किया। तदनुसार एफआरटी प्रति 75 अमेरिकी डॉलर की प्रारंभिक दर से 60 प्रतिशत के दर से बढ़ी एवं 120 अमेरिकी डॉलर प्रति एफआरटी (75 अमेरिकी डॉलर प्रति एफआरटी प्लस 75 अमेरिकी डॉलर प्रति एफआरटी का 60 प्रतिशत) पर सहमति हो गई।

हालांकि सात जहाजों के संबंध में मैसर्स एलएण्डएम द्वारा प्रस्तुत विवरणों (16 फरवरी 2005) से यह देखा गया कि जगह की औसत हानि केवल 43 प्रतिशत थी एवं संशोधित दर 107 अमेरिकी डॉलर प्रति एफआरटी (75 अमेरिकी डॉलर प्रति एफआरटी प्लस 75 अमेरिकी डॉलर प्रति एफआरटी का 43 प्रतिशत) होनी चाहिए थी। नई दर की गणना के दौरान अनुमान के आधार पर जगह की हानि की उच्चतर प्रतिशतता (60 प्रतिशत) मानने के

परिणामस्वरूप ₹ 8.37<sup>31</sup> करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ। इसके अलावा, एएसई पर गैर-भण्डारणयोग्य प्रेषित माल के कारण अतिरिक्त खर्च के लिए कोई दावा नहीं प्रस्तुत किया गया।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (28 जून 2017) कि गैर-भण्डारणयोग्य कार्गो के कारण 43 प्रतिशत जगह की हानि सात जहाजों के लिए की गई गणना के आधार पर थी जिसमें परियोजना के लिए लाए गए अधिक घनत्व वाले कार्गो थे। हालांकि, ढुलाई संविदा के बाद वाले भाग के दौरान कई अलग-अलग प्रकार के कार्गो लाए जाने थे जिसमें ऊँचे गैर-भण्डारणयोग्य वस्तुओं को ले जाने की बाध्यता थी और इस प्रकार 60 प्रतिशत के औसत पर गैर-भण्डारणयोग्यता की सहमति प्रदान की गई थी। आगे बताया गया कि गैर-भण्डारणयोग्यता के कारण कार्गो जगह की हानि के साथ दरों का कोई सीधा संबंध नहीं था। भविष्य में समस्याओं से बचने के लिए 60 प्रतिशत जगह हानि के साथ दरों पर आपसी सहमति बनाई गई थी।

प्रबंधन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि जगह की वास्तविक औसत हानि लगभग 43 प्रतिशत थी जो कि सात जहाजों के आधार पर 2003 से 2005 तक थी जहाँ जगह की कमी 30 प्रतिशत से 57 प्रतिशत तक थी। शेष शिपमेंट्स के आधार पर उच्च दर की धारणा को बिना किसी दस्तावेजी प्रमाण से ग्रहण किया गया था। परिणामस्वरूप एनपीसीआईएल ने ठेकेदारों को ₹ 8.37 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किया जो एएसई से वसूल करना बाकी है।

#### ख) परिवहक को अमान्य शुल्क का भुगतान - ₹ 7.08 करोड़

केकेएनपी के लिए रूसी संघ (आरएफ)/अन्य देशों (टीसी) के निशुल्क बोर्ड (एफओबी)<sup>32</sup> बंदरगाहों के माध्यम से मैसर्स एटमस्ट्रॉयएक्पोर्ट (एएसई) द्वारा उपकरण और सामग्री की आपूर्ति की जा रही थी। एनपीसीआईएल और एएसई के बीच करार के अनुसार आरएफ/टीसी के बंदरगाहों से तुतीकोरिन पोर्ट और केकेएनपीपी कार्य स्थल तक इन आपूर्तियों का परिवहन एनपीसीआईएल के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत था।

<sup>31</sup> ₹ 77.23 करोड़ \*(120 अमेरिकी डॉलर प्रति भाड़ा टन -107 अमेरिकी डॉलर प्रति भाड़ा टन)/ 120 अमेरिकी डॉलर प्रति भाड़ा टन जहाँ ₹ 77.23 करोड़ मैसर्स एल एंड एम को परिवहन सेवा के लिए भुगतान को दर्शाते हैं।

<sup>32</sup> करार के अनुसार निर्दिष्ट स्थान पर माल की आपूर्ति जिसके बाद क्रेता माल की जिम्मेदारी लेता है।

समुद्र मार्ग/हवाई मार्ग (रूसी पोर्ट/अन्य देशों के पोर्ट से भारत और इसके अतिरिक्त केकेएनपी स्थल तक अंतर्देशीय परिवहन, भण्डारण और वेयरहाउस प्रबंधन और इसके अतिरिक्त उत्थापन स्थल तक परिवहन) के माध्यम से उपकरण और सामग्री का हेवी लिफ्ट (एचएल) /आयाम से अधिक और सामान्य परेषणों (ब्रेक बल्क कार्गो) के पोर्ट में प्रहस्तन, शिपिंग और परिवहन का कार्य मैसर्स ली एंड म्यूरहेड लिमिटेड (एल एंड एम) को एल1 आधार पर (दिसम्बर 2002) दिया गया था। पार्टी द्वारा उद्धृत दर में सभी कर, चुर्गी बंदरगाह शुल्क और घाट शुल्क सहित सभी अन्य लेवी शामिल थे। संविदा ₹ 140.87 करोड़ के लिए टर्नकी आधार पर दिया गया था। बाद में, संशोधन (22 मार्च 2005) के तहत दो अतिरिक्त मदों (सुपर ओवर आयामी एवं गैर-भण्डारण योग्य प्रेषित माल के शिपमेंट) को जोड़ दिया गया था एवं अनुबंध के मूल्य को ₹ 168.63 करोड़ में संशोधित किया गया।

संविदा की शर्तों के अनुसार, यदि अधिक आयाम/एचएल कार्गो और अन्य संबंधित ब्रेक बल्क कार्गो का समुद्र के मध्य डिस्चार्ज (केकेएनपीपी स्थल के पास समुद्र के मध्य जहाज को रोककर) किसी कारण या अन्य किसी भी समय संभव न हो तो, ठेकेदार को, नाव द्वारा समुद्र के मध्य डिस्चार्ज बिन्दु से केकेएनपीपी स्थल तक परिवहन के लिए उद्धृत अनुसार समान दरों पर, तूतीकोरिन पोर्ट से केकेएनपीपी स्थल तक उचित नाव द्वारा ऐसे माल की परिवहन करनी थी।

फरवरी 2004 में, मैसर्स एल एंड एम ने एनपीसीआईएल को बताया कि कुडनकुलम पर कुछ जहाजों को छोड़कर जब हवा की स्थिति और तरंग प्रचालन के लिए उचित हो समुद्र के मध्य प्रचालन लगभग असंभव था। उसने अतिरिक्त घाट प्रभारों में छूट के लिए भी अनुरोध किया (11 फरवरी 2004) यह कहते हुए कि "घाट प्रभार उद्धरण में परिवहन लागत के भाग के रूप में सम्मिलित था। यह सोचते हुए कि मात्रा निविदा शर्त के अनुसार अर्थात् तूतीकोरिन पर 40 प्रतिशत और 10 प्रतिशत अंतर के साथ केके बंदरगाह पर 60 प्रतिशत डिस्चार्ज की जाएगी। घाट प्रभारों की लागत में अंतर के भुगतान हेतु बोर्ड ऑफ डारेक्टर्स (अप्रैल 2005) के पास प्रस्ताव भेजा गया था और बोर्ड ने प्रस्ताव अनुमोदित करते समय यह नोट किया कि अच्छे मौसम में माल के समुद्र के मध्य डिस्चार्ज के लिए संविदा में शर्त उपलब्ध है और सलाह दी कि मामले पर ठेकेदार के साथ बातचीत की जाए ताकि ठेकेदार एनपीसीआईएल के साथ लागत का भाग बांट सके।

बातचीत के आधार पर, एनपीसीआईएल द्वारा तुतीकोरिन पोर्ट से केकेएनपीपी स्थल तक वहन किए जाने वाले हैंडलिंग और परिवहन प्रभारों के लिए ₹ 575 प्रति मीट्रिक टन (एमटी) की दर पर अंतिम सहमति हुई थी (अप्रैल 2005)। इस संशोधन के कारण, एनपीसीआईएल को घाट प्रभारों (₹ 6.10 करोड़) और अतिरिक्त हैंडलिंग प्रभारों (₹ 0.98 करोड़) की प्रतिपूर्ति के प्रति ₹ 7.08 करोड़ का अतिरिक्त परिहार्य व्यय करना पडा। यह अतिरिक्त भुगतान अनुचित था क्योंकि संविदा की शर्तों के अनुसार यह ठेकेदार द्वारा वहन किया जाना था।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (28 जून 2017) कि ठेकेदार केकेएनपीपी पर समुद्र के मध्य डिस्चार्ज के माध्यम से माल उतारने के लिए तैयार था और उसने किसी भी समय ऐसा करने के लिए मना कर दिया। यदि ऐसे जोखिम भरे प्रचालन के कारण दीर्घ निर्माण चक्र का कोई भी परेषण गुम हो जाये, तो परियोजना को पूर्ण करने हेतु जोखिम का सामना करना पड़ेगा। इसलिए एनपीसीआईएल ने ठेकेदार को निर्देश दिये कि सभी परेषणों को तुतीकोरिन पोर्ट पर ले जाया जायेगा और फिर कार्यस्थल तक नाव द्वारा लाई जाएगी। इसलिए घाट प्रभारों और अतिरिक्त चढ़ाई-उतराई प्रभारों की प्रतिपूर्ति के प्रति ₹ 7.08 करोड़ का भुगतान उचित था जो एनपीसीआईएल की आवश्यकता के कारण जरूरी था जिसे संविदा की शर्तों के अनुसार आपसी करार के माध्यम से निकाला गया था। तदनुसार, एनपीसीआईएल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त किया गया था।

प्रबंधन का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि मैसर्स एल एंड एम के साथ निविदा शर्तों में स्पष्ट है कि यदि किसी भी कारण समुद्र के मध्य डिस्चार्ज संभव नहीं है, तो ठेकेदार बिना किसी अतिरिक्त भुगतान के तुतीकोरिन पोर्ट से केकेएनपीपी स्थल तक उचित नाव द्वारा ऐसे माल का परिवहन करेगा। इसके अतिरिक्त, बोली प्रस्तुत करते समय विक्रेता द्वारा की गई धारणाओं में त्रुटियों के लिए अतिरिक्त लागत एनपीसीआईएल द्वारा वहन नहीं की जा सकती क्योंकि यह ठेकेदार की जिम्मेदारी है कि उसे निविदा में दी गई निबंधन एवं शर्तों के बारे में जानकारी हो और वह निविदा प्रक्रिया के समय तदनुसार मूल्य उद्धृत करे। इसलिए ₹ 7.08 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान उचित नहीं था।

#### ग) अप्रयुक्त स्थान के भाड़े पर ₹ 11.72 करोड़ का परिहार्य व्यय

मदो की अनुसूची की अनुसूची 'क' दिनांक 2 दिसम्बर 2002 को मदों की मात्रा एवं दर के अनुसार केकेएनपीपी कार्यस्थल पर तुतीकोरीन पोर्ट/समुद्र के डिस्चार्ज के माध्यम से ₹ 2.55 लाख एफआरटी की मात्रा रूसी संघ/तीसरे देश से परिवहन की जानी थी। संविदा के नियमों

एवं शर्तों के अनुसार 5,000 एफआरटी (घन मी. में आयतन मीट्रिक टन में अधिक वजन) के 2,000 टन के कार्गो आयतन पर न्यूनतम प्रलोभन को प्रत्येक ब्रेक शिपमेंट के लिए अधिसूचित पोर्ट पर मैसर्स एल एंड एम को उपलब्ध कराना था जिसे दिसम्बर 2002 में संविदा दिया गया।

यद्यपि लेखापरीक्षा में देखा गया कि एनपीसीआईएल/एएसई/तीसरे देशों से आपूर्ति के मामले में न्यूनतम सहमत मात्रा 5,000 एफआरटी प्रदान करने में विफल रहा। इसके परिणाम स्वरूप मैसर्स एल एंड एम को ₹ 11.72 करोड़ तक की निरर्थक भाड़ा भुगतान करना पड़ा जोकि उसी संविदा के प्रावधान के अनुसार कार्गो भार और वास्तविक कार्गो भार के न्यूनतम सहमत के बीच का अंतर है।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (28 जून 2017) कि केकेएनपीपी इकाई I और II के लिये लोजिस्टिक्स सेवाओं हेतु संविदा को तैयार करने के लिए इनपुट प्रदान करते समय एएसई ने सूचित किया कि वे प्रत्येक ब्रेक बल्क शिपमेंट के लिए और प्रतिस्पर्धी दर प्राप्त करने के लिए 5000 एफआरटी कार्गो प्रदान करेगा और इसलिए संविदा में तदनुसार न्यूनतम अपेक्षित मात्रा हेतु खंड बनाया। एएसई द्वारा पोर्ट में आपूर्ति करने में विलंब के कारण, कुछ मामलों में न्यूनतम अपेक्षित मात्रा उपलब्ध नहीं कराई जा सकी और लोजिस्टिक ठेकेदार को निरर्थक भाड़ा प्रभार का भुगतान किया गया था। एनपीसीआईएल पोर्ट पर माल एकत्र करने के लिए एएसई को कुछ और समय दे सकता था ताकि न्यूनतम अपेक्षित मात्रा उपलब्ध हो सके लेकिन इससे अवरोधन, पोर्ट भण्डारण और विलंब शुल्क लग जाता। इससे, पोर्ट पर पहले ही उपलब्ध सभी मर्चों की आपूर्ति में भी देरी होगी। आपूर्ति में विलंब के लिए एएसई के साथ संविदाओं में निर्णीत हर्जाने का प्रावधान है और इस संबंध में दावा किया जा चुका है।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एनपीसीआईएल ने केवल सामग्री की आपूर्ति में विलंब के संबंध में एएसई से एलडी का दावा किया है और निरर्थक भाड़ा प्रभार के लिए नहीं। एएसई द्वारा पोर्ट तक आपूर्ति करने में विलंब के कारण, न्यूनतम अपेक्षित मात्रा उपलब्ध नहीं कराई जा सकी जिसके परिणामस्वरूप लोजिस्टिक ठेकेदार को दिये गये निरर्थक भाड़ा प्रभार के कारण ₹ 11.72 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ, जिसे एएसई से वसूल किया जाना चाहिए था।

### 4.3.3 एनपीसीआईएल द्वारा एकल निविदा आधार पर ₹ 141.38 करोड़ का कार्य देना

एनपीसीआईएल निर्माण कार्य प्रबंधन मैनुअल के अनुसार, एकल निविदा केवल निम्नलिखित मामलों में की जा सकती है:

- i) स्वामित्व प्रकृति का कार्य
- ii) आपूर्ति/संविदा का केवल एक स्रोत हो
- iii) मौजूदा उपकरण/संरचना में परिवर्तन और संवर्धन स्वामित्व प्रकृति का हो।
- iv) उपकरण, संयंत्र या प्रक्रिया की आवश्यकता वाला कार्य जिसके लिए डीईई /एनपीसीआईएल द्वारा केवल एक ही पार्टी बनाई गई हो और सिर्फ एक ही स्रोत उपलब्ध हो।
- v) बंद कार्य/आकस्मिक कार्य जहां निविदा प्रक्रिया के सामान्य कार्यप्रणाली का पूर्ण योजना निष्पादन/निर्माण समय पर प्रभाव हो।
- vi) अपरिहार्य तत्कालिकता वाला कार्य जो पावर प्लांट के संस्थापन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर सकता हो और पार्टी ने परियोजना स्थल पर उपकरण और आवश्यक संरचना पहले ही स्थापित कर दी हो, और सामान्य निविदा प्रक्रिया से परियोजना समय पर अधिक समय और लागत लगेगी।

इसके अतिरिक्त, सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुसार, प्राकृतिक आपदाओं और आपात स्थिति या बार-बार निविदाओं पर कोई बोली न आने या जहां खरीद हेतु माल के संबंध में केवल एक ही आपूर्तिकर्ता को लाइसेंस दिया गया हो जैसी असाधारण परिस्थितियों में ही केवल नामांकन आधार/एकल निविदा पर संविदा का सहारा लेना चाहिए एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) को सीवीसी के दिशा निर्देशों के लागू होने से कोई छूट प्राप्त नहीं है।

लेखापरीक्षा ने नमूना जांच के दौरान देखा कि ₹ 141.38 करोड़ के कार्य आदेशों के लिए छः मामलों में निविदा की एकल निविदा प्रक्रिया का पालन किया गया था। यद्यपि मैनुअल व सीवीसी दिशानिर्देशों में निर्धारित उपरोक्त मानदंड निविदा प्रक्रिया के समय पूरे नहीं थे। इनमें से ₹ 119.58 करोड़ मूल्य के पाँच संविदा तीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू<sup>33</sup>) को दिये गये।

एकल निविदा/नामांकन के आधार पर अनुमोदन के समय, एनपीसीआईएल द्वारा यह कहा गया था कि कार्य की तत्कालिकता को ध्यान में रखते हुए और केवल प्रस्तावित एकल

<sup>33</sup> मैसर्स बीएचईएल, मैसर्स ईसीआईएल एवं मैसर्स केलट्रोन



निविदा पार्टी के पास ऐसा कार्य करने में सक्षम अनुभवी परिचित और कुशल श्रमबल की उपलब्धता के कारण कार्य एकल निविदा आधार पर दिया जाए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि, सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्य के अनुमोदन की तिथि से 3 से 9 माह के बीच की देरी से कार्य दिया गया था जो तत्कालिकता के बारे में प्रबंधन के उत्तर के विपरीत है। इसके अतिरिक्त, रिकार्ड में कोई भी औचित्य/तुलना नहीं पाई गई कि केवल निविदा प्राप्त करने वालों के पास अपेक्षित अनुभव और सक्षम श्रमबल था। वास्तव में, वार्षिक रखरखाव संविदा जैसे कार्यों के लिए भी एकल निविदा प्रक्रिया का सहारा लिया गया था।

*प्रबंधन ने उत्तर दिया (28 जून 2017) कि लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए गये संविदा/कार्य आदेश उत्थापन हेतु आरक्षण के लिए ऐसे मदों और कलपुर्जों के लिए थे जो स्वामित्व प्रकृति, पृथक प्रकार और कम मात्रा में आवश्यक थे। एकल निविदा/नामांकन आधार के माध्यम से एएसई से इनकी खरीद के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। इसके अतिरिक्त, यह कहा कि एनपीसीआईएल ने इस संबंध में सीवीसी द्वारा प्रस्तुत किसी भी दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं किया है।*

प्रबंधन का उत्तर उचित नहीं है क्योंकि यहां संदर्भित संविदा भारतीय कार्यक्षेत्र के अंतर्गत भारतीय ठेकेदारों द्वारा कार्य के निष्पादन से संबंधित है और एएसई द्वारा सामग्री की आपूर्ति से नहीं। भारतीय ठेकेदारों को एकल निविदा प्रक्रिया द्वारा यह कार्य देने के लिए कोई कारण नहीं बताया गया है (जुलाई 2017)।

इस प्रकार, एकल निविदा आधार पर संविदा देने के कारण न केवल कम्पनी ने प्रतिस्पर्धी मूल्यों का लाभ मिलने का अवसर खोया बल्कि यह एनपीसीआईएल और सीवीसी दिशानिर्देशों के निर्माण कार्य संविदा मैनुअल के मौजूदा प्रावधानों के विपरीत भी था।

लेखापरीक्षा सिफारिश संख्या 11	सिफारिश पर डीएई का उत्तर
एकल निविदा आधार पर कार्य करने के आदेश को तब तक नहीं दिया जाना चाहिए जब तक वे एनपीसीआईएल की नियमावली और सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुसार अर्हता प्राप्त नहीं करते।	डीएई ने नोट किया तथा सिफारिश को स्वीकार किया।

#### 4.3.4 मूल्य ₹ 159 करोड़ के अतिरिक्त मद/कार्य का निष्पादन

केकेएनपीपी संयंत्रों के उत्थापन और संस्थापन के कार्य के लिए रूसी संघ को पूर्ण मॉनिटरिंग और चरण वार निरीक्षण के लिए कार्य स्थल पर अपने विशेषज्ञ तैनात करने थे। तथापि, डीपीआर तैयार करने के चरण से रूसी विशेषज्ञों और एनपीसीआईएल के वैज्ञानिकों की सहभागिता के बावजूद एनपीसीआईएल ने कुछ सिविल, मेकैनिकल और यंत्रिकरण कार्य की पहचान नहीं की जो योजना स्तर पर इस परियोजना के भाग के रूप में निष्पादित किए जाने अनिवार्य थे। परिणामस्वरूप अनुमोदित परियोजना दस्तावेजों में उल्लिखित से अधिक कार्य करना पड़ा।

106 कार्यों में से 8 मामलों में लेखापरीक्षा ने देखा कि ₹ 159 करोड़ की राशि का अतिरिक्त कार्य निष्पादित किया गया था जो कि संविदित कार्य से 25 प्रतिशत<sup>34</sup> की सीमा से उपर थे। यह कार्य जो कि 125 प्रतिशत से भी उपर थे, इन्हें पहले निर्धारित नहीं किया गया था एवं इन्हें ठेकेदारों को उनके द्वारा उद्धृत दरों पर दिया गया। यह देखा गया कि यह कार्य सामान्य/नियमित प्रकृति के थे और इनमें अन्य चीजों के साथ-साथ, वेल्डिंग कार्य, उत्थापन और छोटे छेद वाले सीएस पाइपों की जांच, एचडीपीई पाइपों की आपूर्ति और लगाना, पाइपों का फैब्रिकेशन, एकल पुश बटन स्टेशन की आपूर्ति आदि शामिल है जिन्हें प्रारंभिक स्तरों में योजना बनाते समय शामिल करने पर ध्यान देना चाहिए था। अतिरिक्त कार्यों कि मूल्य लागत से प्रतिशतता की जानकारी *अनुलग्नक IV* में हैं।

*प्रबंधन ने उत्तर दिया (28 जून 2017) कि क्योंकि नाभिकीय ऊर्जा प्लांट में इस प्रकार की कई प्रणाली पहली बार आई थीं इसलिए निविदा के समय कार्य का स्टीक अनुमान निकालना संभव नहीं था। जब और जैसे डिजाइन बना, जहाँ भी कार्य अनिवार्य था मौजूदा ठेकेदार द्वारा ही अतिरिक्त कार्य करवाया गया।*

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यद्यपि यह इस प्रकार का पहला संयंत्र था, तथापि, अन्य नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में एनपीसीआईएल कार्मिक द्वारा सिविल, इलेक्ट्रिकल और अन्य कार्य किए गए थे। कार्य के निष्पादन के समय डिजाइन में परिवर्तन बताते हुए अतिरिक्त कार्य को उचित बताना कार्य के निष्पादन से पूर्व कार्य स्थल की स्थिति / आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने में एएसई और एनपीसीआईएल के बीच उचित योजना और समन्वय की कमी दर्शाता है।

<sup>34</sup> जैसा करार कि सामान्य शर्तों में दिया गया था।

इस प्रकार, दर विश्लेषण किये बिना मौजूदा ठेकेदारों को अतिरिक्त कार्य के आबंटन से न केवल परियोजना की लागत ₹ 159 करोड़ बढ़ी बल्कि प्रतिस्पर्धी दर प्राप्त करने का अवसर भी खोया।

लेखापरीक्षा सिफारिश संख्या 12	सिफारिश पर डीई का उत्तर
प्रतिस्पर्धी दरों को प्राप्त करने के लिए एनपीसीआईएल को उचित दर विश्लेषण के बाद मौजूदा संविदाकारों को कार्य दिया जाना चाहिए।	डीई ने नोट किया तथा सिफारिश को स्वीकार किया।

#### 4.3.5 मूल्य ₹ 79.53 करोड़ के कार्य आदेशों के लिए करार का अभाव

कार्यों के निष्पादन के लिए एनपीसीआईएल द्वारा कार्य आदेश जारी किए गए थे जिसमें दोनों पक्षों अर्थात् एनपीसीआईएल और ठेकेदार दोनों को साथ मिलकर कार्य आदेश में निर्धारित दिनों के भीतर तत्संबंधी कार्यों के लिए एक करार निष्पादित करना था।

नमूना जांच किए गए सात मामलों में लेखापरीक्षा ने देखा कि पार्टियों के बीच किसी करार के बिना ₹ 79.53 करोड़ मूल्य के कार्य आदेश जारी किए गए थे। इस प्रकार, इन सभी मामलों में संविदा को एक कानूनी मान्यता प्रदान करने के लिए प्रत्येक कार्य आदेश के लिए व्यवहार्य समय में हस्ताक्षर किए जाने वाले सभी अपेक्षित दस्तावेजों वाला कोई औपचारिक करार नहीं था।

*प्रबंधन ने उत्तर दिया (28 जून 2017) कि ठेकेदारों के साथ हमेशा ही करार किए गए हैं, चाहे पहले या बाद में।*

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि तत्संबंधी कार्यों के लिए करार, कार्य आदेश में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर किया जाना था, न कि बाद में। इसके अतिरिक्त नमूना जांच के सात मामलों में लेखापरीक्षा ने देखा कि ₹ 79.53 करोड़ मूल्य के ये संविदा पार्टियों के बीच बिना किसी करार के जारी किए गए थे, जो कार्य आदेश के निबंधन एवं शर्तों का उल्लंघन था। इस चूक के कारण ठेकेदार (ठेकेदारों) द्वारा किए गए विलम्बित/असंतोषजनक कार्य के मामले में क्षतिपूर्ति मांगने के लिए निवारक तंत्र (जैसे एलडी) या कार्य पूर्ण करके सौंपने हेतु एक निश्चित समय-सीमा न होने के कारण एनपीसीआईएल के लिए समस्या पैदा हो सकती

थी। इन मामलों में कम्पनी के हितों की सुरक्षा नहीं की जा सकती थी। यह सुनिश्चित करने के लिए कोई मोनिटरिंग तंत्र नहीं था कि एनपीसीआईएल और ठेकेदार (रों) के बीच निश्चित रूप से करार पर हस्ताक्षर किए जाएं, जैसा कि कार्य का संविदा प्रदान करने से पूर्व संबंधित कार्य आदेशों के अंतर्गत अपेक्षित था।

लेखापरीक्षा सिफारिश सं.13	सिफारिश पर डीई का उत्तर
संविदाओं को देने से पहले संविदाकारों के साथ एनपीसीआईएल द्वारा कार्य आदेश के निष्पादन के लिए समझौते को निरपवाद रूप से दर्ज किया जाना चाहिए।	डीई ने नोट किया तथा सिफारिश को स्वीकार किया।

#### 4.3.6 विभिन्न कार्यों के लिए दर अनुसूचियों का न होना

एनपीसीआईएल की निर्माण प्रबंधन नियमावली के अनुसार, प्राक्कलन तैयार करने में सुविधा प्रदान करने तथा संविदा निष्पादन के दौरान दर निर्धारित करने में एक मार्गदर्शक के रूप में भी कार्य करने के लिए इकाइयों में निष्पादित सामान्य प्रकार के प्रत्येक कार्य के लिए दरों की एक अनुसूची (एसओआर) बनायी जानी थी। सामान्य रूप से निष्पादित मदों के लिए दर की गणना हेतु डाटाबेस, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी), भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार होना चाहिए था। इसके अतिरिक्त, एसओआर प्रत्येक इकाई में प्रचलित दरों के आधार पर तैयार किया जाना था और जहां तक सम्भव हो कार्य के प्रत्येक विवरण के लिए दरों के आवश्यक विश्लेषण और उसकी भिन्न स्थिति को अभिलेखित किया जाना चाहिए था।

हालांकि, लेखापरीक्षा ने देखा कि केकेएनपीपी के विभिन्न कार्यों के लिए प्राक्कलन तैयार करने से पूर्व एसओआर अद्यतित नहीं किए गए थे। कार्य फाइलों की सभी नमूना जांच में लेखापरीक्षा ने देखा कि एसओआर के न होने के कारण, प्राक्कलन, एनपीसीआईएल की अन्य इकाइयों जैसे कि तारापुर परमाणु परियोजना, महाराष्ट्र, कैगा परमाणु ऊर्जा परियोजना, कर्नाटक के लिए उपलब्ध कार्य आदेश दरों के आधार पर अथवा साइट पर समान प्रकृति के कार्य के लिए पहले से अनुमोदित दरों पर तैयार किए गए थे।

इसके अतिरिक्त, प्राक्कलन तैयार करने हेतु सीवीसी दिशा-निर्देश में उल्लेख है कि अधिकतम सटीक प्राक्कलन तक पहुँचने के लिए संबंधित स्थानों पर श्रमिक, सामग्री, उपकरण आदि

जैसे विभिन्न इनपुट्स के प्रचलित बाजार मूल्य के आधार पर सभी संबंधित कारकों को ध्यान में रखना चाहिए। हालांकि, यह देखा गया कि एनपीसीआईएल द्वारा प्राक्कलन तैयार करने हेतु अन्य स्थानों पर स्थित इकाइयों के समान प्रकृति के कार्यों का निर्धारण करके कार्य आदेश दरों की गणना की गई थी।

इसके अलावा, नियमावली के अनुसार ऐसे मामलों में जहां संविदा में शामिल मदें दरों की वर्तमान अनुसूची में उपलब्ध होती हैं, वहां स्वीकार की जाने वाली संविदा की राशि, दरों की वर्तमान अनुसूची में प्लस (अथवा माइनस) तत्संबंधी मूल्य सूचकांक के लिए वृद्धि (अथवा कमी) के आधार पर निकाली गई राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि, नमूना जांच किए गए 19 मामलों में लेखापरीक्षा ने प्राक्कलित और दिए गए कार्य के मूल्य के बीच (-) 54 प्रतिशत से (-) 26 प्रतिशत तक का अंतर देखा।

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि पम्प हाउस, सुरंगों, क्लोरीनेशन संयंत्रों, समुद्री जल पाइपलाइन और डिस्चार्ज चैनलों जैसे दैनिक प्रकृति के कार्यों के लिए भी एसओआर तैयार न करने के कारण, संविदा के लिये अनुमानित मूल्य अर्थात् ₹ 588 करोड़ के विपरीत ₹ 348.93 करोड़ में दिया गया; जो 41 प्रतिशत कम है, इससे पता चला कि दैनिक कार्यों के लिए भी केकेएनपीपी में प्राक्कलन व्यवहारिक आधार पर तैयार नहीं किए गए थे।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (28 जून 2017) कि केकेएनपीपी I एवं II के प्रमुख सिविल कार्यों के प्राक्कलन इस क्षेत्र के एक इंजीनियरिंग सलाहकार विशेषज्ञ के माध्यम से बाजार मूल्य विश्लेषण द्वारा तैयार किए गए थे। तकनीकी मंजूरी के भाग वाले विस्तृत प्राक्कलन सहित सक्षम प्राधिकारी से तकनीकी मंजूरी लेने, तत्संबंधी संविदा तैयार करने हेतु एनपीसीआईएल द्वारा ये प्राक्कलन अपनाये गए थे। निर्माण नियमावली एक मार्गदर्शिका है न कि अनिवार्य दस्तावेज। प्राक्कलन की यह पद्धति भी एनपीसीआईएल में प्रयोग की जाती है। बहुत शुरुआती चरण होने के कारण केकेएनपीपी में संदर्भित संविदा को तैयार करते समय दरों की कोई अनुसूची नहीं थी। सभी सिविल कार्यों के लिए अनुसूची दरें बाद में बनाई गई थी और अब सभी कार्यों के लिए प्रयोग की जा रही हैं। दरों की इस अनुसूची में दिशा-निर्देशों के अनुसार संशोधन किया जा रहा है।

प्रबंधन ने स्वीकार किया कि प्रारंभिक अवधि के दौरान प्राक्कलन, एसओआर के बिना एवं अन्य परियोजनाओं में निष्पादित समान कार्यों के प्राक्कलनों के आधार पर तैयार किए गए थे। यद्यपि, एनपीसीआईएल ने कहा कि एसओआर बाद में तैयार किए गए थे, लेकिन लेखापरीक्षा

समाप्त होने तक न तो एसओआर और न ही इस एसओआर के आधार पर तैयार प्राक्कलन लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किए गए थे।

एसओआर के न होने के कारण बजटीय प्राक्कलन की तैयारी पर मॉनीटर करने के लिए नियंत्रण पैरामीटर नहीं था। बढ़े हुए प्राक्कलन तैयार करने से बजटीय एवं निधि व्यवस्था प्रक्रियाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा जिसे रोका जा सकता था।

लेखापरीक्षा सिफारिश सं. 14	सिफारिश पर डीएई का उत्तर
एनपीसीआईएल को संविदा देने के लिए दरों के बेहतर आंकलन करने हेतु कम से कम नियमित प्रकृति के कार्यों जैसे पंपहाउस, सुरंग, क्लोरीनीकरण प्लांट आदि का निर्माण करने के लिए दर-सूची तैयार करनी चाहिए।	डीएई ने नोट किया तथा सिफारिश को स्वीकार किया।

#### 4.4 तीसरे देश के संविदा

##### 4.4.1 एएसई द्वारा किए गए तीसरे देशों के संविदाओं में दरों में व्यवहार्यता को सुनिश्चित नहीं किया

रूसी कार्यक्षेत्र और भारतीय कार्यक्षेत्र के अंतर्गत तीसरे देशों से उपकरण और सामग्रियों की आपूर्ति के लिए एनपीसीआईएल और एएसई के बीच 191 मिलियन डॉलर (पूर्व-संशोधित 220 मिलियन अमेरिकी डॉलर) मूल्य का संविदा किया गया था (अगस्त 2002)। लेखा परीक्षा जाँच में निम्नलिखित पाया गया:

क) संविदा के खण्ड 2.2 के अनुसार, तीसरे देश की आपूर्तियों के लिए तत्संबंधी बोलीदाताओं का चयन एनपीसीआईएल की सलाह से किया जाना था। इसके अतिरिक्त, संविदा के खण्ड 2.4 के अनुसार, तीसरे देशों के बोलीदाताओं से एएसई द्वारा प्राप्त बोलियों/प्रस्तावों का मूल्यांकन एएसई और एनपीसीआईएल द्वारा संयुक्त रूप से किया जाना था और एनपीसीआईएल की अनुमोदन/सहमति से ही एएसई द्वारा उप-संविदा दिए जा सकते थे।

हालांकि, यह देखा गया कि तीसरे देशों की आपूर्ति से पूरा क्रय रूसी पक्ष (एएसई) को प्रदान कर दिया गया और एनपीसीआईएल ने एएसई के साथ बोलियों/प्रस्तावों के किसी संयुक्त

मूल्यांकन में भाग नहीं लिया। इसके अलावा, तीसरे देशों को उप-संविदा देने से पूर्व एएसई द्वारा एनपीसीआईएल की कोई सहमति/अनुमोदन नहीं ली गई थी। एएसई द्वारा एनपीसीआईएल को केवल विभिन्न तीसरे देशों के साथ एएसई द्वारा किए गए उप संविदा की एक सूची, जिसमें मूल्य भी नहीं था, प्रदान की गई थी।

ख) एनपीसीआईएल द्वारा एएसई के साथ किए गए तकनीकी वाणिज्यिक प्रस्ताव (टीसीओ) के खण्ड 2.4.2.2 के अनुसार, तीसरे देशों में खरीदी गई आपूर्ति के लिए अनुमानित और वास्तविक मूल्यों के बीच अंतर की गणना का क्रम ठेकागत स्तर पर ही दोनों पक्षों के बीच स्पष्ट किया जाना था। हालांकि, तीसरे देश से आपूर्तियों के लिए एनपीसीआईएल द्वारा एएसई के साथ किए गए करार में ऐसा कोई प्रावधान नहीं पाया गया। परिणामस्वरूप, एएसई ने एनपीसीआईएल को तीसरे देशों के साथ किए गए सभी संविदाओं का कुल मूल्य प्रस्तुत नहीं किया और एनपीसीआईएल के पास कोई माध्यम नहीं था जिससे यह सुनिश्चित किया जा सकता कि ऐसे सभी संविदाओं का मूल्य वास्तव में सहमत मूल्य 191 मिलियन अमेरिकी डॉलर (₹ 899.95 करोड़) तक था। यह भी देखा गया कि एनपीसीआईएल द्वारा यह सुनिश्चित किए बिना कि एएसई द्वारा तीसरे देशों के आपूर्तिकर्ताओं के साथ किए गए उप-संविदाओं में इसका प्रावधान था या नहीं, तीसरे देशों की आपूर्तियों के लिए एएसई को 10 प्रतिशत ब्याजमुक्त अग्रिम 19 मिलियन अमेरिकी डॉलर (₹ 92.04 करोड़) का भुगतान किया गया था।

एनपीसीआईएल ने संविदा के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार एनपीसीआईएल की भूमिका सुनिश्चित किए बिना एएसई को खरीद करने की अनुमति दी। इन मामलों को न तो दर्ज किया गया और न ही वरिष्ठ प्रबंधन के संज्ञान में लाया गया जिसमें यह सुनिश्चित करने के लिए भी कोई मॉनीटरिंग तंत्र नहीं था कि क्या संविदा का निष्पादन मौजूदा निबंधन एवं शर्तों के अनुसार किया जा रहा था अथवा नहीं।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (28 जून 2017) कि एएसई के माध्यम से तीसरे देशों से सभी खरीद में निर्धारित मूल्य 220 मिलियन अमेरिकी डॉलर (सीआईएस संविदा के सहमत समायोजन से पूर्व) के मूल्य के रूप में सहमत की गई थी और यह मूल्य सहमत टीसीओ के अनुसार सभी संविदाओं के मूल्य का एक भाग है। इसलिए एक निर्धारित मूल्य के भीतर दरों की व्यवहार्यता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता नहीं है। निकाला गया अलग-अलग मूल्य मुख्य रूप से सीमाशुल्क मंजूरी के उद्देश्य हेतु एक अनुमानित मूल्य/दर था। इस संविदा के अंतर्गत अग्रिम

के रूप में भुगतान की गई 19.05 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि अंतर सरकारी अनुबंध (आईजीए) एवं सामान्य फ्रेमवर्क करार (जीएफए) के आधार पर बनाए गए संविदा के अनुरूप थी।

प्रबंधन का उत्तर की तीसरे देशों के संविदाओं के लिए एएसई के कार्य क्षेत्र में आने वाली आपूर्तियों का मूल्य निर्धारित था, स्वीकार्य नहीं है। जीएफए के खण्ड 4.1 के अनुसार, कार्य का रूसी कार्यक्षेत्र निर्धारित मूल्य पर था, जबकि भारतीय कार्यक्षेत्र एवं रूसी कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले तीसरे देशों से आपूर्तियां निर्धारित मूल्य पर नहीं थी लेकिन एफओबी आपूर्ति शर्तों के आधार पर अनुमानित कीमत की ऊपरी सीमा तक थी। इसके अतिरिक्त, जीएफए के खण्ड 2.2.1.8 और अनुच्छेद 2 के करार खण्ड 2.4 में प्रावधान था कि एएसई एनपीसीआईएल के साथ संयुक्त रूप से बोलियां आमंत्रित करेगा और वेंडरों का चयन करेगा। इसलिए यह तर्क कि तीसरे देश की आपूर्ति निर्धारित मूल्य पर रूसी कार्यक्षेत्र में शामिल की गई थी जिसके कारण निर्धारित मूल्य के अंदर दरों की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने की आवश्यकता नहीं थी, तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है और यह जीएफए एवं संविदा की शर्तों का उल्लंघन है।

लेखापरीक्षा सिफारिश सं. 15	सिफारिश पर डीएई का उत्तर
तीसरी पार्टी द्वारा उपकरणों की आपूर्ति के लिए संविदाओं के संबंध में, एनपीसीआईएल को संविदा (संविदाओं) के मूल्य की उचितता सुनिश्चित करने के लिए बोली के संयुक्त मूल्यांकन में भागीदारी करने पर विचार करना चाहिए।	डीएई ने संज्ञान लिया और सिफारिशें मान ली, यदि एनपीसीआईएल द्वारा सीधे तीसरे देशों से क्रय किया जाता है। हालांकि डीएई ने सिफारिशें आंशिक रूप से मान ली हैं, ऑडिट का यह विचार है कि एएसई के माध्यम से तीसरे देश के अनुबंध के तहत खरीदे गए उपकरणों की दरों की उचितता सुनिश्चित करने के लिए, एनपीसीआईएल को इसके लिए एक उपयुक्त तंत्र तैयार करना चाहिए।

#### 4.4.2 उपकरण एवं सामग्रियों की आपूर्तियों से संबंधित भुगतान में देखी गई कमियां

तीसरे देशों से उपकरण और सामग्रियों की आपूर्ति हेतु एएसई और एनपीसीआईएल के बीच (अगस्त 2002) 191 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एक संविदा किया गया। इस संविदा में भुगतान प्रक्रियाओं के सत्यापन के दौरान निम्नलिखित कमियां देखी गई थी:



- क) खण्ड 6.2.1 के अनुसार, एनपीसीआईएल को उप-संविदा की हस्ताक्षरित प्रतियों के साथ इंडाइस प्रस्तुत करने के प्रति संविदा पर हस्ताक्षर की तिथि से 3 महीनों के भीतर एएसई को आपूर्तियों एवं सेवाओं के लिए संविदा मूल्य (अर्थात् 189.80 मिलियन अमेरिकी डॉलर) के 15 प्रतिशत का भुगतान करना था। लेखापरीक्षा ने देखा कि इंडाइस के साथ प्रस्तुत उप-संविदाओं में उप-संविदाओं से भुगतान की शर्तों एवं उप-संविदाओं के मूल्य जैसे विवरण नहीं थे और इसके उप-संविदाओं के विवरण का सत्यापन किए बिना 15 प्रतिशत (28.47 मिलियन अमेरिकी डॉलर) का भुगतान कर दिया गया था।
- ख) एनपीसीआईएल द्वारा जारी की गई संविदा की सामान्य शर्तों के भाग 3.4.3 के अनुसार, आयातित स्टोर की शासी आपूर्ति, ठेकेदार संतोषजनक निष्पादन हेतु प्रतिभूति के रूप में संविदा के कुल मूल्य के 10 प्रतिशत के समान राशि के लिए निष्पादन बॉण्ड/बैंक प्रतिभूति प्रस्तुत करेगा। तथापि, यह देखा गया था कि एनपीसीआईएल ने तीसरे देशों से उपस्कर और सामान की आपूर्ति के लिए एएसई के साथ किए गए संविदा (संविदा सं. 22700, अगस्त 2002) के अंतर्गत इस प्रावधान को शामिल नहीं किया था। यह एनपीसीआईएल द्वारा जारी की गई संविदा की सामान्य शर्तों का उल्लंघन था।

*प्रबंधन ने उत्तर दिया (28 जून 2017) कि तीसरे देशों से आपूर्तिकर्ताओं के साथ वाणिज्यिक समझौतों में एनपीसीआईएल को शामिल करने के लिए एएसई बाध्य नहीं थी। आपूर्तियों के एएसई कार्यक्षेत्र के मूल्य निर्धारित मूल्य थे जिसके मद्देनजर कि सभी तीसरे देशों के संविदा पर तीसरे देश की आपूर्तियों सहित एएसई द्वारा हस्ताक्षर किये गये थे। निर्धारित मूल्य संविदा में सौदा करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं हो सकती। संविदा खंड स्पष्टतः दर्शाते हैं कि उप-संविदा की केवल गैर-मूल्यांकित प्रति उपलब्ध कराई जाएगी। 15 प्रतिशत की अग्रिम राशि एएसई द्वारा संविदा की सभी अपेक्षित शर्तें पूरी करने के बाद दी गई थी।*

प्रबंधन का उत्तर की तीसरे देश के ठेकों में एएसई कार्यक्षेत्र की आपूर्तियों का मूल्य निर्धारित था अस्वीकार्य है। जीएफए के खंड 4.1 के अनुसार, तीसरे देश की आपूर्तियां जो कि भारतीय और रूसी कार्य क्षेत्र के अन्दर थी उसका मूल्य निर्धारित नहीं था बल्कि वह एफओबी आपूर्ति शर्तों के आधार पर संभावित बढ़ी हुई ऊपरी सीमा थी। संविदा के अनुच्छेद 6 के खंड 6.21 में यह बताया गया है कि उप-संविदा की प्रति एनपीसीआईएल को उपलब्ध कराई जाएगी न कि उप संविदा की गैर-मूल्यांकित प्रति। एएसई द्वारा संविदा की सभी आवश्यक शर्तों को पूरा किये बिना ही अग्रिम राशि देना सही नहीं है। अतः एएसई द्वारा उप

संविदाओं की गैर मूल्यांकित प्रति देने के कारण, मूल्य और उप संविदा के भुगतान की शर्तों को बिना सत्यापित करे 15 प्रतिशत भुगतान सही नहीं है।

#### 4.5 कम्पनी के नाम पर भूमि स्वामित्व का गैर-हस्तांतरण

तमिलनाडु सरकार ने केकेएनपीपी संयंत्र कार्यस्थल और टाऊनशिप के लिए भूमि (फरवरी 1990) के 1225.16 हेक्टेयर के अधिग्रहण के लिए संस्वीकृति प्रदान की थी। संयंत्र कार्यस्थल (929.52 हेक्टेयर) और टाऊनशिप (153.90 हेक्टेयर) के लिए 1083.43 हेक्टेयर की सीमा तक भूमि एनपीसीआईएल के नाम पर थी। तथापि, तथ्य के बावजूद कि यह तमिलनाडु सरकार के आदेश (फरवरी 1990) में निर्दिष्ट था कि एनपीसीआईएल को अपने नाम पर हस्तांतरित भूमि का स्वामित्व प्राप्त करना होगा, 141.735 हेक्टेयर (संयंत्र कार्यस्थल-117.435 हेक्टेयर और टाऊनशिप और टाऊनशिप-24.30 हेक्टेयर) की सीमा तक भूमि के लिए स्वामित्व अनुमोदन की तिथि से 27 वर्षों के बाद भी एनपीसीआईएल के नाम पर अभी भी हस्तांतरित नहीं कराई गई है। अपने नाम पर स्वामित्व हस्तांतरित न करने के कोई कारण एनपीसीआईएल द्वारा नहीं दिये गये थे।

*प्रबंधन ने उत्तर दिया (28 जून 2017) कि संयंत्र कार्यस्थल पर उपलब्ध भूमि, खर्च किये गये ईंधन भंडारण के लिए सुविधाओं सहित केकेएनपीपी इकाई I से VI के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त हैं।*

प्रबंधन का उत्तर प्रासंगिक नहीं है क्योंकि 27 वर्षों के बाद भी एनपीसीआईएल के नाम पर भूमि को हस्तांतरण न करने के कारण कम्पनी द्वारा नहीं दिए गये हैं।

#### 4.6 एनपीसीआईएल द्वारा एईआरबी से प्रचालन करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने से पूर्व केकेएनपीपी, इकाई I के संयंत्र का वाणिज्यिक प्रचालन

परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी) नाभिकीय विद्युत परियोजनाओं तथा संयंत्रों (एनपीपीज) की सुरक्षा, पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी है जिसे एक व्यापक सुरक्षा समीक्षा तंत्र तथा आवधिक नियामक जाँचों के माध्यम से किया जाता है। सभी नाभिकीय विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति के चरण के दौरान एक व्यापक गंभीर सुरक्षा समीक्षा से गुजरना परिकल्पित है जिसमें साईटिंग, निर्माण, संस्थापन शामिल है। एनपीपीज के लिए मूल्यांकित विद्युत पर साईटिंग, निर्माण, संस्थापन तथा प्रचालन के लिए प्राधिकरण/मंजूरी को नाभिकीय सुविधाओं के विनियमन पर एईआरबी सुरक्षा संहिता तथा एईआरबी सुरक्षा गाइड में वर्णित नाभिकीय विद्युत संयंत्रों और अनुसंधान रिएक्टर के लिए अनुमोदन प्रक्रिया के अनुसार दिया

जाता है। एईआरबी गाइड के अनुसार, एनपीसीआईएल की विभिन्न साईटिंग चरणों पर प्रस्तुतियों को परियोजना सुरक्षा समीक्षा हेतु एईआरबी दस्तावेजों की, आन्तरिक समीक्षा दलों, विशेषज्ञ दलो तथा सलाहकार समिति (एसीपीएसआर) के माध्यम से, समीक्षा करता है।

समीक्षा के दौरान एनपीसीआईएल द्वारा एईआरबी को विभिन्न प्रस्तुतीकरण, प्रतिक्रियाए, औचित्य/संगणना टिप्पणियां तथा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। इसके क्रमानुसार तथा वर्णित आवश्यकताओं को पूरा करने पर, एईआरबी अनुपालन किए जाने वाले अनुबंधों के साथ (वर्तमान चरण तथा अगले चरण के लिए) नाभिकीय विद्युत परियोजना (एनपीपी) के सम्बंधित चरण के लिए मंजूरी देता है। अनुबंधों के अनुपालना पर, एनपीसीआईएल को इसके लिए अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होता है।

संयंत्र/परियोजना के संस्थापन/प्रचालन के प्राधिकरण के स्वीकृत होने से पूर्व, एईआरबी को निम्नलिखित की उचित समीक्षा द्वारा संतुष्ट किए जाने की आवश्यकता है-

- क) परियोजना संयंत्र द्वारा तैयार अंतिम डिजाइन विश्लेषण रिपोर्ट,
- ख) संस्थापन रिपोर्ट तथा इसके परिणाम; तथा
- ग) प्रस्तावित प्रचालन प्रक्रियाएं तथा प्रचालन सीमाएं तथा यह शर्त कि संयंत्र/परियोजना को कार्मिक तथा जनआबादी के लिए अनुचित जोखिम के बिना प्रचालित किया जा सकता है।

किसी नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र का प्रचालन करने के लिए लाइसेंस उक्त क), ख), तथा ग) शर्तों के पूरा होने पर दिया जाता है। परियोजना चरण के दौरान संतोषजनक समीक्षा के पश्चात, एईआरबी पांच वर्षों तक की अवधि के लिए नाभिकीय विद्युत संयंत्र हेतु प्रचालन लाइसेंस जारी करता है। इसके अलावा, एईआरबी के दिशानिर्देशों ने यह भी अनुबंधित किया कि अंतिम सुरक्षा समीक्षा रिपोर्ट तथा विस्तृत प्रदर्शन रिपोर्ट जो कि डिजाइन एवं संस्थापन की समीक्षा व्यवस्था के विभिन्न चरणों में समीक्षित हैं के साथ नियमित बिजली संचालन के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए एईआरबी को आवेदन जमा करना होगा।

एईआरबी ने अगस्त 2014 में एनपीसीआईएल को 31 दिसम्बर 2014 तक केकेएनपीपी इकाई I के प्रचालन के लिए सीमित समयावधि (चरण सी3<sup>35</sup> स्तर) के लिए 100 प्रतिशत पूर्ण विद्युत की मंजूरी दी, इसे बाद में निश्चित अनुबंधों<sup>36</sup> के अनुपालन के अधीन 30 अप्रैल

<sup>35</sup> ऐसी अवस्था जिस पर रिएक्टर ऊर्जा को 100 प्रतिशत सम्पूर्ण ऊर्जा तक बढ़ाया जाता है।

<sup>36</sup> परमाणु ऊर्जा (फैक्ट्री) नियमावली 1996 के अनुसार एसीपीएसआर-एलडब्ल्यूआर, औद्योगिक तथा अग्नि सुरक्षा आवश्यकताओं की सिफारिश, नाभिकीय प्रतिभूति पहलुओं के संबंध में सभी प्रासंगिक सिफारिशें।

2015 तक बढ़ाया गया। एईआरबी ने 10 जुलाई 2015 को संयंत्र के नियमित प्रचालन के लिए लाइसेंस दिया। यद्यपि, लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि एनपीसीआईएल ने 31 दिसम्बर 2014 को केकेएनपीपी की इकाई I के वाणिज्यिक प्रचालन की घोषणा की जो संयंत्र के नियमित प्रचालन के लिए एईआरबी से लाइसेंस प्राप्त करने से छः माह पूर्व थी। इसके अतिरिक्त, अंतिम सुरक्षा समीक्षा की पूर्णता तिथियों से संबंधित अभिलेखों तथा एईआरबी को इसकी प्रस्तुति तिथि को बार-बार पूछताछ के बावजूद भी लेखापरीक्षा को प्रदान नहीं किया गया। एनपीसीआईएल इस बात की पुष्टि करने के लिए भी दस्तावेज नहीं दे सका कि क्या इसने एईआरबी के संस्वीकृति पत्र दिनांक 30 अगस्त 2014 में वर्णित अनुबंधों का अनुपालन किया था। इस सूचना के अभाव में, यह स्पष्ट नहीं होता कि एनपीसीआईएल ने 31 दिसम्बर 2014 को संयंत्र के वाणिज्यिक प्रचालन की घोषणा के समय सभी अनुबंधित सुरक्षा तथा प्रतिभूति शर्तों का अनुपालन किया था। ऐसी सूचना के अभाव में, यह तथ्य कि केकेएनपीपी की इकाई I को एईआरबी दिशा-निर्देशों के तहत अपेक्षित रूप में संयंत्र की प्रचालन सुरक्षा तथा प्रतिभूति को पूरा करने के पश्चात पूर्ण रूप से वाणिज्यिक प्रचालन में लगाया गया था, लेखापरीक्षा में इसकी पुष्टि नहीं हो पाई।

प्रबंधन ने उत्तर दिया कि अनुसरित प्रक्रिया के दौरान विभिन्न चरणों में संयुक्त राज्य परमाणु नियामक आयोग के ढाँचे के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्राथमिक सुरक्षा विश्लेषण रिपोर्ट (पीएसएआर) को प्रस्तुत किया गया जिसे भारतीय तथा रूसी पक्षों के बीच परस्पर सहमत किया गया था। इन प्रक्रियाओं की सावधानीपूर्वक जाँच तथा समीक्षा करने के पश्चात् एईआरबी ने अप्रैल 2015 तक 100 प्रतिशत पूर्ण विद्युत प्रचालन के लिए केकेएनपीपी इकाई I को मंजूरी दी थी जिसे आगे रिफ्यूलिंग शटडाउन (जून 2015) तक बढ़ाया गया था क्योंकि एनपीसीआईएल ने एईआरबी के सभी अनुबंधों का अनुपालन किया था। वाणिज्यिक प्रचालन घोषणा हेतु सीएमडी, एनपीसीआईएल से संस्वीकृति प्राप्त करने में उचित प्रक्रिया का अनुसरण किया गया था। अतः वाणिज्यिक प्रचालन की घोषणा किसी भी प्रकार से उन विनियामक अनुबंधों के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं है जिसका एनपीसीआईएल द्वारा अनुपालन किया गया है।

प्रबंधन का उत्तर, लेखापरीक्षा के विशिष्ट अवलोकन को संबोधित नहीं था कि केकेएनपीपी इकाई I का वाणिज्यिक प्रचालन 31 दिसम्बर 2014 को कैसे शुरू किया गया जो 10 जुलाई 2015 के नियमित प्रचालन के लिए लाइसेंस प्राप्त करने से छः माह पूर्व था।

#### 4.7 रिएक्टर प्रेशर वैसल की सर्विस पूर्व जांच

रिएक्टर वेसल एक नाभिकीय विद्युत स्टेशन की सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण घटकों में से एक है जिसमें रिएक्टर कोर एवं अन्य प्रमुख आंतरिक रिएक्टर शामिल हैं। नाभिकीय संयंत्र की सुरक्षा से संबंधित घटकों की विश्वसनीयता आश्वस्त करने के लिए पूर्व सर्विस जाँच आवश्यक हैं।

प्रारम्भ में एनपीसीआईएल ने (जनवरी 2011) रिएक्टर प्रेशर वैसल, रिएक्टर घटक की पूर्व-सर्विस जांच हेतु एक विक्रेता- मैसर्स वीआर एन्टरप्राइजिज को ₹ 31.40 लाख में संविदा दिया। ठेकेदार द्वारा कार्य को तकनीकी/विशेषज्ञ सलाह तथा एनपीसीआईएल अधिकारियों के मार्गदर्शन के अनुसार किया जाना था तथा जून 2011 तक पूर्ण किया जाना था। भारतीय ठेकेदार द्वारा जांच में लगाने हेतु प्रस्ताव को दाबयुक्त भारी जल रिएक्टर में एनपीसीआईएल के पिछले अनुभव एवं लागत को कम करने के प्रयास के आधार पर बताया गया था। तथापि, एनपीसीआईएल कार्य की जटिलता की वजह से कार्य करने के लिए ठेकेदार को मार्गदर्शन तथा कुशल सलाह/विशेषज्ञता नहीं दे सका और कार्य 28 जून 2011 को बन्द हो गया; ठेकेदार को उसके द्वारा किए गए कार्य के भाग के लिए ₹ 8.76 लाख की राशि का भुगतान किया गया। इसके पश्चात् यही कार्य 29 जुलाई 2011 को मैसर्स एचआरआईडी, एक क्रोएशियाई फर्म को € 0.79 मिलियन (₹ 5.01 करोड़<sup>37</sup>) में दिया गया। यह कार्य 31 जुलाई 2012 को मैसर्स एचआईडी द्वारा पूरा किया गया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि एनपीसीआईएल का प्रारम्भिक निर्णय जिसमें स्थानीय भारतीय ठेकेदारों के माध्यम से प्री सर्विस इंस्पेक्शन का कार्य निष्पादित करना था एवं बाद में काम करने में ठेकेदारों को निर्देशित करने में विशेषज्ञों की कमी के कारण विदेशी फर्म को काम दिया जाना, पूर्व सर्विस जाँच में योजना की कमी की और संकेत करता है। इसके अतिरिक्त चूंकि एएसई रिएक्टर वेसल का आपूर्तिकर्ता था अतः एनपीसीआईएल को पूर्व-सर्विस जांच के कार्य के लिए किसी तीसरी स्वतंत्र पार्टी को रखना चाहिए था ताकि निष्पक्ष एवं स्वतंत्र मूल्यांकन आश्वस्त किया जा सकता।

प्रबंधन ने कहा कि पूर्व-सर्विस जांच (पीएसआई) को इन-सर्विस जांच (आईएसआई) द्वारा संयंत्र/उपकरण के सर्विस काल के दौरान मॉनीटरिंग स्थिति के लिए आधार लाइन डाटा के संग्रहण के लिए की जाती है। मूल उपकरण निर्माता होने के नाते एचआरआईडी को घरेलू विक्रेता के साथ हमारे अनुभव के आधार पर पीएसआई करने के लिए नियुक्त किया गया था।

<sup>37</sup> ठेके की तिथि पर विनियम दर ₹ 63.10 प्रति यूरो

प्रबंधन का उत्तर संतोषजनक नहीं हैं क्योंकि रिएक्टर वैसल जिसमें रिएक्टर कोर सम्मलित है, अत्यधिक सुरक्षा महत्व का है। इसलिए रिएक्टर प्रेसर वैसल निर्माता (मैसर्स एचआरआईडी) के अलावा एक स्वतंत्र तृतीय पक्ष द्वारा रिएक्टर प्रेसर वैसल का पूर्व निरीक्षण उचित होता।

#### 4.8 अपर्याप्त उच्च स्तर मॉनीटरिंग

भारतीय तथा रूसी संघ के बीच विद्युत उत्पादन सहित सभी प्रयोज्य क्षेत्रों में नाभिकीय ऊर्जा के सहयोग तथा शांतिपूर्ण अनुप्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए, वर्ष 2000 में एक उच्च स्तरीय समन्वय समिति स्थापित की गई थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि इसके गठन से सितम्बर 2010 तक समिति की आवधिक रूप से बैठक की गई तथा केकेएनपीपी परियोजना के क्रियान्वयन में प्रगति की समीक्षा की गई। बैठको के कार्यवृत्तों ने दर्शाया कि परियोजना के क्रियान्वयन से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा की गई थी तथा परियोजना के क्रियान्वयन को तीव्र करने के लिए निर्णय लिए गए थे। यद्यपि लेखापरीक्षा को प्रदत्त अभिलेखों के अनुसार, सितम्बर 2010 के पश्चात् संयुक्त समन्वय समिति (जेसीसी) की बैठक आयोजित नहीं की गई। इसके अतिरिक्त, सितम्बर 2010 से ऐसी उच्च स्तरीय बैठके न करने के लिए कोई विशेष कारण दर्ज नहीं पाया गया यदि समन्वय समिति की बैठके नियमित रूप से आयोजित की गई होती तो एलडी का निपटान, श्रमबल सामजंस्य, आपूर्ति मदों में विलम्ब आदि जैसे विभिन्न मामलो पर असहमति के प्रमुख मुद्दों को सुलझाया जा सकता था।

*प्रबंधन ने कहा कि संयुक्त समन्वय समिति (जेसीसी) को अपेक्षित उच्च स्तर हस्तक्षेप के मामलों के निपटान के लिए बनाया गया था। वर्ष 2010 तक, प्रमुख मामलों का निपटान हो गया था तथा परियोजना चालू प्रणालियों के संस्थापन के साथ अंतिम क्रियान्वयन स्थिति में थी। जेसीसी बैठक 2010 के बाद से आयोजित नहीं की गई हालांकि संबंधित प्राधिकारियों को नियमित आधार पर परियोजना के क्रियान्वयन से अवगत कराया गया था। आगे यह कहा गया कि 2011 में, स्थानीय जन आंदोलन आरम्भ हुआ तथा परियोजना विलम्बित हो गई। इसे केवल भारतीय संघ/राज्य सरकारों के स्तर पर निपटाया जाना था।*

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नियमित बैठको का आयोजन, एलडी का निपटान, श्रमबल सामजंस्यों, आपूर्ति मदों में विलम्ब आदि जैसे विलम्बों से सम्बंधित कठिनाईयो/मामलो का निपटान करता जिन पर ध्यान नहीं दिया गया एवं जो समयबद्ध तरीके से सुलझाये नहीं गये।

#### निष्कर्ष


कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना (केकेएनपीपी) की इकाई I एवं II में बहुत अधिक विलम्ब हुआ है। विलम्ब मुख्यतः रूसी कार्य क्षेत्र से भारतीय कार्यक्षेत्र में कार्य के परिवर्तन,

कार्य के निष्पादन में विलम्ब, एएसई द्वारा कार्यकारी दस्तावेज के प्रस्तुतीकरण/उपकरण /सामग्री की आपूर्ति में विलम्ब, डिजाइन परिवर्तन के कारण विलम्ब, निर्माण विलम्ब और अतिरिक्त निर्माण कार्यों के कारण हुए थे। परियोजना पूर्ण करने में देरी के परिणाम स्वरूप लागत में वृद्धि हुई। लागत में वृद्धि मुख्यतः अतिरिक्त रूसी श्रमबल आवश्यकता, नाभिकीय प्रणाली सहायक सामग्री के निर्माण एवं संस्थापन व्यय में वृद्धि, अतिरिक्त निर्माण कार्यों के निष्पादन और भारतीय ठेकेदारों को वृद्धि/कम उपयोगिता प्रभारों के भुगतान के कारण थी।

परियोजना प्रबंधन के दौरान विभिन्न कमियों से ग्रस्त थी जिनमें सक्षम प्राधिकारी से प्रचालन के लिए आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करने से पहले संयंत्र का वाणिज्यिक प्रचालन, रूसी एजेंसी को अनुचित लाभ देना, श्रमबल का आंकलन नहीं किया जाना तथा परिणामी परिहार्य व्यय एवं एलडी की गैर-वसूली शामिल है।

नई दिल्ली

दिनांक: 11 अगस्त 2017



(आशुतोष शर्मा)

प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा  
एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-IV,  
नई दिल्ली

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक: 11 अगस्त 2017



(शशि कान्त शर्मा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

